बिहार विधान-सभा वादवृत्त

[भाग २ कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित]

सोमवार, तिथि ३० मार्च, १९८१ ई०

विषय-सूची

	पृष्ठ
राजकीय संकल्प :	
बरौनी में पेट्रो केमिकल्स कम्पलेक्स की स्थापता का अभिस्ताव [स्वीकृत]। ...	१—३२
अध्यक्षीय घोषणा : जनता (जे० पी०) का नया नामकरण ...	३३-३४
शून्यकाल के लिए निर्दिष्ट विषयों को आसन से रखा जाना : ...	३४—३६
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उस पर सरकारी वक्तव्य :	
दामोदर नदी से बालू की निकासी	३६—३८
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :	
दरभंगा जिले में हरिजनों की हत्या।	३८—४०
अत्यावश्यक लोक महत्त्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उसपर सरकारी वक्तव्य :	
(अ) जनता एवं उद्यमियों की सुरक्षा के लिए फोर्स की व्यवस्था।	४१—४६
(ब) आदिवासियों की जमीन का मुआवजा ...	४६—४८

अध्यक्ष—मुझे एक बात का आश्चर्य लगता है कि कोई नियम पढ़ते हैं या नहीं। पुनः मैं कहूंगा कि नये सदस्यों को नियम पढना चाहिए। नियम को पढ़कर आना चाहिए क्योंकि सदन किसी नियम से चलता है।

श्री सुरेन्द्र यादव—अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण का जवाब दिलवा दीजिये।

श्री रामदेव सिंह यादव—जब झूठ-मूठ ही जवाब मिलता है तो कम-से-कम वह भी तो दिलवा दीजिये।

श्री सुरेन्द्र यादव—अध्यक्ष महोदय, आप हमलोगों की बात को सुन लीजिये।

अध्यक्ष—हम तो सुनने के लिये तैयार हैं, कहने के लिये तैयार हैं। हमने तो आपके कौल अटेन्शन को मंजूर कर लिया है। लेकिन बार-बार उठने से बात होती है।

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श

अध्यक्ष—मैं आपको सूचना दे देना चाहता हूं कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के नियम-४३ के तहत यह विचार विमर्श हो रहा है। इस पर जो विमर्श करना चाहते हैं, मुभर को १५ मिनट, सरकार को २० मिनट और अन्य सदस्यों को ५ से ७ मिनट का समय मिलेगा। २ बजकर ३५ मिनट से यह शुरू हो रहा है। ३ घंटा समय निर्धारित है। ५ बजकर ३५ में इसको मैं समाप्त कर दूंगा। उसी हिसाब से आपलोग भाषण करें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि :

> यह सदन समस्तीपुर कारा में गोली कांड, भदुआ श्रीरमिपुर (गिरीडीह) स्थित सेन्टर कोल्ड फिल्ड लिमिटेड खान की छत धस जाने के फल स्वरूप मजदूरों की मृत्यु एवं टिस्को के मजदूरों के हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श करें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, विधान परिषद में टाटा संबंधी इसु को उठाया गया था जिसमें सभापति महोदय ने यह रुलिंग दिया कि यह मामला सबजुडिस है इसलिये इस संबंध में इसपर विचार विमर्श नहीं हो सकता है और न उत्तर दिया जा सकता है। इस संबंध में मैं चाहूँगा कि आप भी अपना निर्णय दें।

अध्यक्ष—माननीय संसदीय कार्यमंत्री, दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह विषय कार्यमंत्रणा समिति में १९ तारीख को आया और २४ तारीख को वाद-विवाद के लिये रखा गया और जब फिर बैठक हुई कार्यमंत्रणा समिति की २४ तारीख को तो उस दिन निर्णय लिया गया कि उस दिन के जितने कार्य हैं उसे ३० तारीख के लिये रखा गया। २४ तारीख से लेकर ३० तारीख तक यह बात हमारे ध्यान में आप नहीं लायें। आज जब हम सदन में आये तब तक मेरे ध्यान में नहीं लाया गया और जब यह मोसन मूव हो गया तब आप हमारे ध्यान में ला रहे हैं। मैंने जो एडमिट किया है टिस्को के मजदूरों के हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श के लिये—यह विषय सबजुडिस नहीं होगा। हाँ यह हो सकता है कि अन्य विषय सबजुडिश हो इसलिये इस पर सदन में विचार विमर्श करने में कोई व्यवधान नहीं है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि सरकार द्वारा जो आपत्ति उठायी गयी उसको आपने काट डाला। समस्तीपुर जेल में जो कुछ हुआ १४ जनवरी १९८१ को वह बंदियों का संहार था। वहाँ के बन्दियों ने कई महीनों से सरकार के जिलाधिकारी को आवेदन दे रखा था कि जो जेल मेनुअल में निर्धारित राशन प्रत्येक बन्दियों को मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। जो कम्बल बन्दियों को जाड़े और सर्दी में मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। जो मिलने जुलने की सुविधा कानून में दी गयी है वह सुविधा उपलब्ध नहीं है बल्कि भेट मुलाकात करने वालों से रुपया लिया जाता है इसके बाद भेट कराया जाता है। बन्दियों ने आवेदनपत्र में लिखा था कि जेल के कई अधिकारी उनके प्रति अन्याय करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और जुल्म करते हैं। महीनों से आवेदन-पत्र पड़ा हुआ था जिलाधिकारी के पास, सरकार के पास लेकिन एक मांग की भी आपूर्ति सरकार द्वारा नहीं की गयी। आखिर बन्दियों ने यह निर्णय लिया कि हम शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन करेंगे। और सरकार का ध्यान अपनी मांग की

ओर आकृष्ट करेंगे। कुछ बन्दियों ने आन्दोलन के समय छत पर चढ़ गये और शांति से दो दिनों तक नारा लगा रहे थे। किसी बन्दी ने ताला नहीं तोड़ा, दीवाल और फाटक तोड़ने का काम नहीं किया। एक भी ईंट घसकाने की कोशिश नहीं की। जिलाधिकारी समस्तीपुर और जिला आरक्षी अधीक्षक, समस्तीपुर के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ जेल के अन्दर आया। मुझे जो सूचना है जेल के जेलर, सहायक जेलर जो थे वे नहीं चाहते थे कि जेल के अन्दर पुलिस फोर्स प्रवेश करे और बन्दियों पर गोली चलावे। जिला पदाधिकारी की ओर से धमकी उन्हें दी गयी और जेलर से चाभी छीन ली गयी और ताला खोलकर फोर्स के साथ ये लोग प्रवेश कर गये और गोली चलाना शुरु किया। बन्दियों में आंतक फैल गया और जो ऊपर छत पर चढ़े थे उनमें कुछ नीचे चले आये और कुछ ऊपर रह गये। उसपर ऊपर चढ़कर बन्दियों के हाथ पांव पकड़ लिया गया और बोरा की तरह ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। ६ बन्दियों की तत्काल मृत्यु हो गयी और जो गोली के शिकार नहीं हुए उन्हें निशान बनाकर पकड़ा गया। पहले ही योजना बन गयी थी जेल के बंदियों के बारे में, फैसला ले लिया गया था और उन्हीं लोगों को खोज खोजकर निकाला गया। उनके गले के ऊपर और गले के नीचे लाठी रखकर उठाया गया और संगीन भोंक-भोंक कर उन्हें घायल कर दिया गया और वे अस्पताल जाते जाते मर गये पिछले दफे भी मैंने कहा था कि डा० जगन्नाथ मिश्र जब-जब कुर्सी पर आते हैं तो सबसे ज्यादे बन्दियों की हत्या जेल में होती है। पिछले दफे भी मैं कह रहा था समस्तीपुर जेल कांड के बारे में कि समस्तीपुर जेल बहुत छोटा जेल है और वहां पर १२-१३ बन्दियों की हत्या हुई। उनमें एक का नाम लाल बहादुर राय है, पिता का नाम रामदाद राय समस्तीपुर के हैं उस लड़के की उम्र १८ साल है। वह लड़का छात्र की मांग को लेकर आन्दोलन शुरू किया था वह किसी गंभीर दफा में नहीं था, १०७ दफा में गिरफतार किया गया था। मैं सरकार पर अभियोग लगाता हूँ कि उन्हें जान से मारने की नियत से उन्हें जेल में रखा गया था अगर ऐसी नियत नहीं होती तो १०७ दफा में छोड़ दिया गया होता। १०७ दफा में जेल में रखने का कानून नहीं है, आसानी से छोड़ा जा सकता लेकिन इसको नहीं छोड़ा गया। जब वह गिरफतार हुआ तो उन्हें १० दिनों तक जमानत पर नहीं छोड़ा। जब उसकी जमानत हो रही थी तो पुलिस ने कहा कि यह जमानत के लायक नहीं है, इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिये और वह जमानत के बाद भी जेल के अन्दर रह गया और आखिर

वह निशाना बनाया गया। उन्हें गोली नहीं लगी, लाठी से बुरी तरह पीटा गया, संगीन शरीर के गतर-गतर में भोंक कर मार दिया गया।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

इस तरह से १२ लोगों की जानें गयी है उनमें श्री राम निहोरा चौधरी जिनकी आयु २२-२३ साल की है। तीसरे जलधारी मियाँ उर्फ गुलजारी मियाँ, शंकर सिंह उर्फ काली सिंह, जिनकी मृत्यु हुई है रामफली राय उर्फ कालीचरण राय जो नक्सलाइट हैं वे अपने गांव में गरीबों के हित के लिये किसान मजदूर के हित के लिये लड़ाई किया करते थे। मैं दर्जनों बार उनके गांव में गया था तथा वे एक समाजसेवी थे, देशभक्त थे लेकिन उनको भी मार डाला गया। बेरहमी से मारा गया। अशोक महतो, पिता का नाम रामवतार महतो, ब्रजमोहन मंडल, लालबहादुर राय, उपेन्द्र राय, उर्फ झमन राय की मृत्यु हुई है। मुर्तजा उर्फ बैजू जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इसी तरह से बेरहमी के साथ लोगों को मारा गया है। जुल्म ढाया गया है। शिवनाथ महतो, रामकृपाल सिंह और परमेश्वर महतो पर भी इसी तरह से जुल्म ढाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा ये सरकार कहती है कि डकैतों को मारा है, दोषी लोगों को मारा गया है। मैं कहना चाहता हूँ इनमें से चार व्यक्ति डकैती की इलजाम में बन्दी बनाये गये थे लेकिन जो उन पर इलजाम थे वह साबित नहीं हुए थे। उसमें एक आदमी भी बन्दी नहीं रहा होगा जिस पर इल्जाम साबित हो गया है वे मारे गये हैं। चार-पांच व्यक्ति के ऊपर डकैती का इल्जाम था? लेकिन किसी को सजा नहीं हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, बिना टिकटिया लोग भी उसमें थे जो पकड़ा कर आए थे जिनका नाम मैंने गिनाया है। इनलोगों पर भी जुल्म ढाया गया और नरसंहार का शिकार बनाया गया। वहां के जिला आरक्षी अधीक्षक ने पाप का काम किया है। वहां के जिलाधिकारी और जिला आरक्षी अधीक्षक को एक मिनट भी सर्विस में रहने का अधिकार नहीं है। हमलोगों ने मांग की थी जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं कांग्रेस "आई०" को छोड़कर, एक स्वर से हमलोगों ने मांग की थी कि वहां के जिलाधिकारी को मुअत्तल किया जाय, जिला आरक्षी अधीक्षक को मुअतल किया जाय और उन्हें समस्तीपुर से हटा दिया जाय लेकिन उनको जानबुझकर वहाँ रखा जा रहा है। ये एक नहीं अनेक गोली कांड करायेंगे। इसके कुछ दिन पहले चन्दबेस गांव जब यही जिला-

धिककारी और पुलिस आरक्षी थे तो किसानों को गोली का शिकार बनाया।

उपाध्यक्ष महोदय, यही आरक्षी अधीक्षक उस समय भी समस्तीपुर में थे और यही जिलाधिकारी थे। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस सदन की एक सर्वदलीय कमिटी बनायी जाय। समस्तीपुर गोली कांड की (जांच) जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जा रही है। इसके बारे में मैं कहना यह चाहता हूँ कि जुडिशियल इन्क्वायरी से कुछ होता नहीं है—इसमें बहुत समय लगता है। साल, डेढ साल, दो साल का वक्त लग जाता है और लाखों रुपया सरकार का खर्च होता है। दो साल के बाद जब समय गुजर जाता है तो एक प्रतिवेदन दिया जाता है जिससे कोई फायदा नहीं होता है और इससे समय पर कोई लाभ नहीं पहुंचता है और काफी पैसे भी खर्च हो जाते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग की और सरकार इस बात की घोषणा करे कि समस्तीपुर में जो गोलीकांड हुई है उसके लिये सभी पार्टी की एक सर्वदलीय कमिटी बनायी जायेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें कांग्रेस "आई०" के लोग भी शामिल रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मामला है भदुआ के बारे में। वहाँ खान दुर्घटना हुई है। गैरकानूनी ढंग से वहाँ से बड़े पैमाने पर कोयला निकाला जाता है और उस कोयले का निर्यात किया जाता है पाकिस्तान में और बंगलादेश में। ये लोग करोड़पति लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं कहने की इजाजत मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि इसमें कांग्रेस "आई०" के लोग ज्यादे से ज्यादे हैं। मैं इसलिये कह रहा हूँ कि यह राष्ट्रीय हित की बात है, पार्टी की हित की बात है और कांग्रेस "आई०" का जो उद्देश्य है जैसा कि पंडित जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय भावना से काम करना चाहती है, जनता की सेवा करना चहती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से जो काम करता हूँ, राष्ट्र के विरोध में जो काम करता है उस पर दमन चक्र चलाइए। जेल भेजिये चाहे वह आपके पार्टी का आदमी हो, चाहे किसी पार्टी का आदमी हो। इसके बारे में आप पता लगाइए और उन्हें सजा दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ तक मेरी जानकारी है० कि खाद्यान्न के तस्कर में कांग्रेस "आई०" के सबसे अधिक आदमी हैं। यदि आप उन्हें छूट देना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन इससे करोड़ों रुपया का नुकसान बिहार सरकार को होता हेगा, देश का होता रहेगा। मजदूरों की जान तो जाती ही है। मैं कहता हूँ

सौ डेढ़ सौ मजदूर मारे गये जैसा कि मुझको बताया गया है। मेरे पास किसी का नाम पता नहीं है जो एक-एक करके पढ़कर बताऊँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूँ कि सरकार इसको गम्भीरता से ले और ठीक से न्यायपूर्वक जांच कराये और सत्य पर पहुँचे। इनकी सरकार की न राष्ट्रहित की भावना है और न मजदूरों के हित की भावना है और न देश हित की भावना है। इनका दावा असत्य है।

दूसरा सवाल मैं टाटा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि यह बात सही है कि जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ जो कानूनन है वह बिहार के हर कारखाने में लागू है लेकिन टाटा में नहीं है। कानून जो मजदूर ठीके पर काम करते हैं। उनकी सेवा स्थाई होनी चाहिए। १९७९ में एक समझौता हुआ था उसके मुताबिक मजदूरों को स्थाई कर देना चाहिए था। वहां का एक कम्पनी ट्यूब कम्पनी है जो इसको लागू कर दिया। लेकिन टाटा के टिस्को और टेल्को ने उस त्रिपक्षीय समझौता को लागू नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, ये दस हजार मजदूरों के जीवन मरण का सवाल है और शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन वे इससे इनकार कर रहे हैं। वे हिंसा का सहारा नहीं ले रहे थे। वे शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल कर रहे थे। सरकार को टाटा पर दबाव देना चाहिए लेकिन उसके बजाय। लेकिन टाटा को उद्धार कर ये मजदूरों पर दमनचक्र चला रहे हैं। इसलिए टाटा फूल गया है और मजदूरों पर लाठी, गोली चलाकर उसको दमन करना चाहता है। दर्जनों मजदूर वहाँ जो मारे गये, लाठी से उनको पीटा गया। इसी में कम्युनिस्ट नेता श्री केदार दास भी घटना के शिकार हुए जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि पूंजीपति को आय बढावा दे रहे हैं। उनका पक्ष लेते हैं। पीठ ठोकते हैं और वे मजदूरों का दमन करते हैं और दमन की चक्की में पिसते हैं। यह सरकार मजदूरों के हित साधन की नारा लगाती है—सफाई देती है लेकिन दर-असल मजदूरों को लूट रही है और टाटा को पनपा रही है जिससे टाटा फूलती और फलती जा रही है। इस तरह से उनका नारा बिलकुल खोखला है। मैं जिस विषय पर प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया हूँ आशा करता हूँ हमारे प्रस्ताव पर सदन को विचार करना चाहिए। भदुआ कांड के संबंध में और टाटा को मजबूर करने के लिये ताकि मजदूरों की मांग मान ले, यह सदन कुछ कारगर कदम उठाने

के लिये सरकार को मजबूर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री रामाश्रय राय—उपाध्यक्ष महोदय, १४ जनवरी, ८१ को समस्तीपुर जेल में गोली चलाई गयी और जो दुर्घटना हुई उसमें लगभग १२ बन्दियों को मारा गया। इस घटना से सदन को तकलीफ है, हमें भी तकलीफ है और सदन के सभी माननीय सदस्यों को तकलीफ है। लेकिन हमें विचारना होगा कि सदन के सामने जो प्रश्न है उसमें किस परिस्थिति में गोली चली और गोली चलने के बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की, क्या ऐक्शन लिया? उपाध्यक्ष महोदय, १२ जनवरी को समस्तीपुर जेल के बन्दी जेल की छत पर चढ़ गये थे और १२ तारीख को उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी और उनकी मांगों के बारे में लोग सजग थे और १२ तारीख को जब सब बन्दी नहीं मान रहे थे तो वहां के एडीशनल कलक्टर, वहां के दारोगा, वहां के इंस्पेक्टर सब लोग गये और उनलोगों को समझाया-बुझाया। लेकिन उनलोगों ने उनकी एक न मानी। उसके बाद दारोगा जी समस्तीपुर के औफिसर इंचार्ज श्री शम्भू प्रसाद जी को भेजा गया और जब वे बन्दियों को मना रहे थे तब बन्दियों ने उन्हें रोड़े से मारना शुरू कर दिया और उसका नतीजा हुआ कि दारोगा जी का सर फूट गया और वे अचेता अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराये गये। वें १२ दिनों तक अस्पताल में भर्त्ती रहे। फिर १३ तारीख. कों जितने अधिकारी थे वे सारे के सारे वहीं समय बिताये। वहां के जिलाधिकारी उस दिन नहीं थे और जब वे पटना से लौटे, छुट्टी से लौटे तो १४ तारीख को एस० डी० ओ० के साथ और सहायक आरक्षी अधीक्षक, समस्तीपुर के साथ, एस० डी० ओ० साहब बहुत अच्छे अधिकारी हैं, सब लोग वहां गये और सभी लोगों ने समझाने-बुझाने की कोशिश की। किसी को किसी से दुश्मनी नहीं थी। एक आदमी से हो सकती है, दो आदमी से हो सकती है दुश्मनी। लेकिन बन्दी मानने के लिये तैयार नहीं हुए और वे कहते थे यह कैसे हो सकता है। फिर सब अधिकारी वहां गये और लाउडस्पीकर लगाया गया और कहा गया कि आपकी सब मांगे मान ली गयी है आप उतर जायं। उनपर टीयर गैस छोड़ा गया जब वे नारा लगा रहे थे कि नक्सलवादी जिन्दाबाद, जेल का फाटक टूटेगा, कैदी सब छूटेगा। इस तमाशा को लोग तीन दिन तक देखते रहे। गोली चलने से किसी को खुशी नहीं हो सकती है। लेकिन तीन दिनों तक समस्तीपुर जेल की छत पर

जो नजारा था वह वहां के स्थानीय लोगों ने देखा है। खुद विरोधी दल के नेता समस्तीपुर में मौजूद थे। इस तरह प्रशासन को मजबूर कर रहे थे, पंगु बना रहे थे। जिस कैदी को जेल से कोर्ट में ले जाना था तो उस कैदी को नहीं ले जाने देते थे।

श्री दीनानाथ पाण्डेय—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य समस्तीपुर जेल काण्ड के पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में पता नहीं चल रहा है।

श्री रामाश्रय राय—सारी प्रक्रिया पूरी की है, वहां के एस० पी० ने एस० डी० ओ० ने और कलेक्टर ने। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि सी० आर० पी० सी० के सबसे बड़े दण्डाधिकारी समाहर्ता होते हैं और डिस्ट्रीक्ट मैजिस्ट्रेट ने सारी प्रक्रिया पूरी की है। जब देखा कि प्रशासन किसी तरह ठीक नहीं नजर आ रही है तो गोली चलायी गयी।

(सदन में जोरों का शोरगुल)

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और इसके लिये उन्होंने न्यायिक जांच की घोषणा तुरन्त कर दी। जुडिशियल इंक्वायरी भी हाई कोर्ट के जज द्वारा करायी जायगी। इस तरह आपलोगों ने पहले कभी नहीं की, जब आपकी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी।

श्री टीका राम मांझी—उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से समस्तीपुर जेल काण्ड को लेकर सदन में काफी चर्चा हुई, उसी तरह मैं सदन के सामने टिस्को ठीकेदार मजदूरों द्वारा हड़ताल जिनकी संख्या दस हजार की है और वहां एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, सदन का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मजदूरों का घनघोरे शोषण में कमी लाने के सिद्धान्त से भारत सरकार ने सन् १९७० में यहाँ कंट्रेक्ट लेकर (ऐब्बोलीशन रेगुलेशन एक्ट १९७० नामक कानूग बनाया। इस कानून के मुताबिक ऐसे मजदूरों को, जो स्थायी प्रकृति का काम करता है, परन्तु उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है और ठीकेदार जैसे एजेन्सियों के मातहत रहकर ही कम्पनी का काम करता है, स्थायीकरण कर दिये जायेंगे। यह कानून बिहार में लागू हो या नहीं पर भारत सरकार से अनुशंसा मांगा है और बिहार सरकार सहमत हो गयी। उसके बाद

तत्कालीन श्रमायुक्त श्री माधो सिंह के सफल प्रयास एवं हस्तक्षेप से दिनांक ७-८-७९ को जमशेदपुर में औद्योगिक शान्ति कायम करने के लिए एवं उपर्युक्त कानून को मूल रूप प्रदान करने के लिए टिस्को, टेल्को, ट्यूब एवं टिन प्लेट कम्पनियों के प्रबन्धकों तथा ए० आई० टी० यू० सी०, आई० एन० टी० यू० सी०, बी० एस० एस० एवं अन्यान्य ट्रेड यूनियनों तथा उनके प्रमुख कार्यकर्त्ताओं के बीच श्रम विभाग, बिहार सरकार के वरिष्ट अधिकारियों की उपस्थिति में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार टेल्को, टिस्को, टिन प्लेट, ट्यूब आदि कम्पनियों ने चार हजार ठीकेदार मजदूरों को स्थायीकरण कर दिया परन्तु टिस्को इस समझौते को लागू नहीं किया। सरकार अपने कानून और त्रिपक्षीय समझोते को लागू नहीं कर रही है। जमशेदपुर कन्ट्रेक्टर वेर्कर्स यूनियन एवं इण्डस्ट्रीयल यूनियन सन् १९७९ से वार-बार टिस्को प्रबन्धकों से मांग करते आ ररी है कि समझौता को लागू किया जाय, परन्तु टिस्को चुप रही है।

हमारी सरकार इतनी निकम्मी हो गयी है कि टाटा कम्पनी पर त्रिपक्षीय समझौता लागू करने के लिए दबाव नहीं दिया। फलस्वरूप जमशेदपुर कन्ट्रेक्टर्स वर्कर्स यूनियन ने १ जनवरी को नोटिस दिया कि त्रिपक्षीय समझौता को लागू नहीं किया जायगा तो वाध्य होकर हड़ताल पर जायेंगे। पुनः १४ जनवरी को नोटिस दी गयी कि अगर समझौता लागू नहीं किया जायगा तो ३१ जनवरी से मजदूर हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जायेंगे। फिर भी कभी समझौता वार्ता नहीं हुआ। मजबूर होकर १०,००० मजदूर ११ फरवरी से हड़ताल पर चले गये और अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहना शुरू किया शांतिमय ढंग से। इन लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। टाटा के डाइरेक्टर मोदी साहब ने सोचा कि मजदूर १-२ दिन भूखों रहेंगे इससे ज्यादा वे भूखों कैसे रहेंगे। लेकिन जब ३-४ दिन भूखों रहकर अपना आंदोलन जारी रखे तो मोदी साहब को लगा कि परमानेन्ट नेचर के जो मजदूर हैं वे अपने टिफिन कैरियर में खाना भरकर मजदूरों को खिला रहे हैं। इसलिए उन्होंने कैन्टीन को बन्द कर दिया हालांकि कानून के मुताबिक उनको कैन्टीन से खाना दिया जाना चाहिये। इसपर भी सरकार चुपचाप बैठी रही।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का समय हो गया, कृपया बैठ जायँ।

श्री टीका राम मांझी—दो मिनट और समय कृपया दिया जाय। जब मजदूर इसपर भी डटे रहे तो मोदी साहब को भ्रम हुआ कि परमानेन्ट नेचर के मजदूर ही ट्रेड यूनियनिज्म कर रहे हैं इसलिए उनकी लिस्ट बनवाने लगे और गलत अभियोग लगाकर उनको ससपेंड तथा डिस्चार्ज करने का षड्यन्त्र करने लगे। फिर भी मजदूर शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन जारी रखे। इसके बाद मोदी साहब ने परमानेन्ट नेचर के मजदूरों को ठीकेदार मजदूर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इसके बाद भी वे सफल नहीं हुये और मजदूर आपस में सद्भाव बनाये रखे तो बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि ५ ट्रक सी० आर० पी० तथा पुलिस भेजकर मजदूरों को मारपीट करना शुरू कर दिया गया और महिलाओं के साथ अभद्र वर्ताव शुरू हो गया। मजदूरों के जो आदिवासी नेता थे उनको शराब पिलाकर और जमशेदपुर के राजहंस होटल में खिला-पिला कर तथा पटना के पाटलिपुत्र होटल में खिला-पिला कर हड़ताल तोड़ने की कोशिश टाटा कम्पनी करने लगी। इतना सबकुछ होने पर भी लेवर डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया और इस ढंग से मजदूरों पर जुल्म किया गया है। इसी जुल्म के खिलाफ जब केन्द्रीय मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी स्टील सिम्पोजियम का उद्घाटन करने के लिये जमशेदपुर गये तो श्री केदार दास, मजदूरों के नेता के नेतृत्व में मजदूरों का एक जत्था उनसे मिलकर मन्त्री महोदय को सारी बातों की जानकारी देने के लिए गया तो बिहार सरकार की पुलिस तथा टाटा कम्पनी की सुरक्षा पुलिस ने मिलकर उनकी मारपीट करना शुरू कर दिया, उनपर हमला कर दिया और श्री केदार दास घायल हो गये। वहाँ ३ राउण्ड गोलियाँ चलीं।

लेकिन टाटा सिक्यूरिटी फोर्स पर आज तक कोई केस नहीं हुआ क्योंकि इस सरकार की टाटा पक्षीय नीति है। इसके परिणामस्वरूप वहाँ भयानक रूप से अशान्ति फैल रही है। बंगाल सरकार ने लेवर कौन्ट्रैक्टर्स ऐक्ट को लागू कर दिया लेकिन ये बहाना बना रहे हैं कि मैटर सबजुडिस है लेकिन सही रूप से यह सबजुडिस मैटर नहीं है। अगर सरकार मान लेती है तो मुकदमा वापस हो सकता है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीकेदार मजदूरों की समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से भयानक अशान्ति होगी और इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। यही सरकार से कहना चाहते हैं।

श्री देवेन्द्र नाथ चाम्पिया—उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में तीन प्रस्तावों पर बहस चल रही है उनमें से एक प्रस्ताव टिस्को के हड़ताली दजदूरों के संबंध में है और इसपर विचार विमर्श के लिए सदन में प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रश्न सदन के लिए एक विचारणीय प्रश्न है कि इस तरह की परिस्थिति किसने पैदा की? क्या हड़ताली मजदूरों ने, हड़ताली मजदूरों के नेताओं ने, या सरकार ने, या कम्पनी ने? उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य श्री टीका राम मांझी ने एक समझौते की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। उपाध्यक्ष महोदय, ये जिस समझौते का जिक्र कर रहे हैं वह हुआ है ७ अगस्त १९७९ को लेकिन वास्तव में वह समझौता नहीं था वह तो मजदूर नेताओं के साथ डिसकसन था जिसको ये लोग समझौता कह रहे हैं, यह गलत है। यदि यह समझौता होता तो १२ फरवरी को लेवर डिपार्टमेंट ने कौन्ट्रैक्ट मजदूरों की समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए पटना में मीटिंग नहीं बुलायी होती।

श्री राजकुमार पूर्वे—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि ७ अगस्त १९७९ को कोई समझौता नहीं हुआ था। सरकार की तरफ से, टाटा कम्पनी की तरफ से और यूनियन की तरफ से एग्रीमेंट हुआ था और साईन भी हुआ था लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। माननीय मंत्री अभी बैठे हुए हैं इसलिए सरकार की ओर से यह कह दिया जाय कि ऐसा समझौता हुआ था कि नहीं तो हम मान जायेंगे नहीं तो टाटा की तरफ से टाटा के आदमी नहीं बोलें।

श्री देवेन्द्र नाथ चाम्पिया—१२ फरवरी को लेवर डिपार्टमेंट की ओर से कौन्ट्रैक्ट लेवर की समस्या के ऊपर विचार विमर्श करने हेतु मीटिंग पटना में बुलायी गयी थी और सी० पी० आई० और सी० पी० एम० के लोगों ने इधर १२ फरवरी को विचार विमर्श हुआ भी नहीं और उधर ११ फरवरी से हड़ताल करवा दी। उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब क्या है? केवल एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इनलोगों ने हड़ताल करवा दी। टीकाराम मांझी ने सवाल उठाया है कि ११ हजार मजदूरों ने हड़ताल की है, टीकाराम मांझी ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें ११ मजदूर हड़ताल पर हैं का जिक्र किया है और श्री दीना नाथ पाण्डे ने जो मोशन लाया है उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि १७ हजार मजदूर

हड़ताल पर है तो उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों के मोशन में विरोधाभाष है। एक कहते हैं ११ हजार मजदूर हड़ताल पर हैं और एक कहते हैं कि १७ हजार मजदूर हड़ताल पर हैं जबकि ये दोनों टाटा के हैं। १० हजार मजदूरों में से केवल ३ हजार मजदूर हड़ताल पर हैं। हमको लगता है कि यह सी० पी० आई० और सी० पी० एम० के लोगों की हड़ताल है क्योंकि जनशक्ति अखबार में निकला है कि ठीका मजदूरों के समर्थन में विभिन्न जिलों से आये सत्याग्रहियों द्वारा टिस्को के गेट पर धरणा देने का कार्यक्रम जारी है।

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल हो रहा था)

इनलोगों ने समर्थन में गेट पर धरणा देने का कार्यक्रम बनाया और धरणा जारी है। (शोरगुल) दिनांक १९ मार्च, १९८१ के जनशक्ति में जो निकला है उसे मैं सदन में पढ़ देना चाहता हूँ—

"लगभग ५०० मजदूरों ने एस० डी० ओ० कोर्ट का घेराव किया। इस बीच हड़ताली ठेका मजदूरों के समर्थन में विभिन्न जिलों से आये सत्याग्रहियों द्वारा टिस्को के गेट पर धरना देने का कार्यक्रम जारी है। कल टिस्को के साक्ची गेट पर सत्याग्रहियों के जत्थे ने धरना दिया।" (शोरगुल)

उपाध्यक्ष—अब आप बैठ जांय। आपका समय हो गया।

श्री देवेन्द्र नाथ चम्पिया—उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने मेरा समय बर्बाद किया है। मुझे और वक्त दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक १४ मार्च, १९८१ के जन-शक्ति में है कि—

"टिस्को के मुख्य दफ्तर पर धरना : जेल में भूख-हड़ताल"

"आज यहाँ ३०० महिला समेत शहर के एक हजार मजदूरों ने तथा बेगूसराय से एकजुटता व्यक्त करने के लिए आये हुए जत्थे ने टिस्को के जेनरल दफ्तर के सामने धरना दिया और नारे लगाये।', (शोरगुल)

श्री योगेश प्रसाद "योगेश"—जब आप बोल रहे थे तो कोई इधर से बाधा नहीं पहुंचाई गयी। मा० सदस्य बोल रहे हैं, उनको बोलने का अधिकार है बोलने दीजिए। सरकारी जवाब आप ले लीजिएगा।

श्री देवेन्द्र नाथ चम्पिया—उपाध्यक्ष महोदय, ये राजनीति से प्रेरित होकर बातें करते हैं। दुर्गापुर सी० पी० आई० का बेल्ट है; वहां सी० पी० आई० की सरकार है। (शोरगुल)

अपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य बैठ जायें। अब आपका भाषण प्रोसीडिंग में रेकार्ड नहीं होगा। (शोरगुल)

(उपाध्यक्ष महोदय के मना करने के बावजूद शोरगुल के बीच मा० सदस्य बोलते रहे)

श्री इन्दर सिंह नामधारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे की बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए और किसी माननीय सदस्य को बोलने में डिसटर्ब नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसी प्रथा चलेगी तो आगे मुश्किल हो जायेगा। मैं समझता हूँ कि यह जो परम्परा है इसको रोकने में थोड़ी मजबूती करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विरोधी दल के नेता ने जिन तीन मुद्दों पर बहस की चर्चा की है उनमें से पहला है समस्तीपुर जेल में गोलीकांड। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने विस्तार से इसकी चर्चा की है इसलिए मैं गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल यही जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि जब डा० जगन्नाथ मिश्र विरोध पक्ष में बैठते थे तो उनकी मांग कुछ और होती है और सरकार में रहते हैं तो उनकी मांग बदल जाती है। अगर यही घटना विरोधी दल के नेता डा० जगन्नाथ मिश्र के समय में होती तो समस्तीपुर जेल कांड की घटना पर वे चिल्लाकर हाउस में कहते थे कि एस० पी०, डी० एस० पी० को मुअत्तल किया जाय। आज जब विपक्ष के लोग कहते हैं कि एस० पी०, डी० एस० पी० को मुअत्तल किया जाय तो सरकार के लोग कहते हैं कि वहां के एस० पी० एवं डी० एस० पी० बहुत अच्छा हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कैदियों की कुछ मांगे थी। हो सकता है कि जेल में जाने के बाद उनका दिमाग कुछ विक्षिप्त हो जाता है, इन लोगों को जेलों में जाने का मौका कहां मिला है, हमलोग जेल में रहे हैं। इसलिए पता है कि जेलों में क्या हालत है? अगर कैदियों की कुछ मांगें थीं, हो सकता है कि वे जेल के छत पर चढ़ गये हों उनको छोड़ दिया जाता, दो तीन दिनों तक वे भूखे रहते, फिर वे अपने आप सरेन्डर कर जाते। गोली चलाने के पहले अश्रु गैस का इस्तमाल करना

चाहिए था। लेकिन वहां के कारा अधीक्षक और आरक्षी अधीक्षक ने गोली से भुन दिया जिसमें एक नवयुवक, लाल बहादुर राय की भी मृत्यु हो गयी। बेसाहारों के खून से हाथ रंगा गया और मांग की जाती है कि एस० पी०, डी० एस० पी० को मुअत्तल किया जाये तो अनुचित क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, गिरिडीह की माइन्स की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ जो १३-२-८१ को १२ बजकर ४० मिनट पर दुर्घटना हुई और बड़े धमाके के साथ ३०० मजदूर उस मलवे के अन्दर दबकर मर गये और विहार में उनको पूछने वाला कोई नहीं है। शुरू में प्रेस ने कुछ हाइलाइट किया की ३०० व्यक्तियों की मृत्यु हुई। लेकिन क्या कारण है कि उसके एक दो दिनों के बाद प्रेस का मुँह बन्द हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि "नहीं जब रहा रूस का जरूर बाकी तो कैसे रहेगा जगन्नाथ बाकी।" आर्यावर्त्त और प्रदीप ने लिखा कि ३०० व्यक्ति मर गये और उसके बाद न्यूज दबा दिया गया। जो प्रेस की ईज्जत है मैं उसकी आदर करता हूं। डा० जगन्नाथ मिश्र को कहते हैं कि वे कल का आर्यावर्त्त पढ़ लें—उसमें हेड लाइन में दिया हुआ है कि "अब्दुल गफूर और इन्दर सिंह नामधारी पर आरोप।" इतनी बड़ी हेडिंग। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया और वह भी मरी हुई। इतना बड़ा हेडिंग और उसमें है क्या ? नामधारी जब चेयरमैन बने तो उनको एक ट्रक था। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। इसलिए मैंने कहा कि "नहीं जब रहा रूस का जरूर बाकी, तो कैसे रहेगा जगन्नाथ बाकी।"

श्री विश्वमोहन शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पोअएन्ट ऑफ आर्डर है। आज का वाद-विवाद का तीन विषय निर्धारित हैं और माननीय सदस्य वाहर के विषय पर बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष—यह पोआएन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—अब मैं गिरिडीह की ओर आपका ध्यान खींचकर ले जा रहा था। मैं कहना चाहता हूँ ऐसी ही घटना दिनांक १६ अगस्त, १९८० को घटी हुई थी और तीन व्यक्ति मारे गये थे। एफ० आई० आर० लौज किया गया। लेकिन एक ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने ७००० रूपया लेकर यहां के मंत्री ने छोड़ाया। (शोरगुल)। सात हजार किसी मंत्री ने लिया। (शोरगुल)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मेरी नियमापत्ति है। माननीय सदस्य ने सात हजार रुपया लेने का आरोप किसी मंत्री पर लगाया। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रमाण नहीं दें तब तक माननीय सदस्य को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। (शोरगुल) महोदय, हम आपका प्रोटेक्शन चाहेंगे। माननीय सदस्य को इस तरह का आरोप लगाने का अधिकार नहीं है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—मैंने किसी मंत्री का नाम लेकर नहीं कहा है। डा० जगन्नाथ मिश्र को उनके दल के किसी मंत्री का नाम लेकर बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास प्रमाण होगा तो मैं प्रमाण दूंगा।

श्री महेन्द्र नारायण झा—उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि माननीय सदस्य ने आरोप लगाया और किसी का नाम नहीं लिया।

उपाध्यक्ष किसी का नाम यदि माननीय सदस्य ने लिया है तो वे वापस ले लें ?

श्री महेन्द्र नारायण झा—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था है। बिना किसी के नाम कहे हुए सीधे कह दें कि समूची दुनिया में सभी कोई भ्रष्ट हैं, सभी घूसखोर हैं, अगर ऐसी बात हैं तो प्रमाण के साथ नाम कहें ?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बिना नाम कहे समूचे दुनिया को कह देना कि भ्रष्ट हैं, घूसखोर हैं यह उचित नहीं है। यदि उनके पास प्रमाण है तो नाम लेकर प्रमाण के साथ कहें। इस तरह से आक्षेपमूलक बात न कहें।

(विरोधी दल के बहुत से माननीय सदस्य खड़े होकर कहने लगे कि इस तरह से कहने की परिपाटी है और बराबर ऐसा होता है।)

उपाध्यक्ष—यह कोई प्वायन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया है। जो आम चर्चा है उसका वर्णन मैंने किया है। गिरिडीह में बहुत से कोयले के खान हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय से वहां कोयले की खुदाई हो रही है। आजकल सी० सी० एल० के अधीन एक बड़ी खान खुदाई हो रही है

बाकी खानों में अवैध ढंग से कोयला निकाला जा रहा है। कांग्रेस आई० के ही गिरिडीह नगरपालिका के अध्यक्ष भी अवैध रूप से कोयला की खुदाई करवा रहे हैं जो सबसे बड़ा कोयला खान है। कोयला खान के धंस जाने के कारण बहुत आदमियों की मृत्यु हुई है। लेकिन लोग कहते हैं कि लोग मरे नही है। इस चीज को जब मैंने मुख्य मंत्री से कहा तो वे कहने लगे कि लोग थाने में लिखाते क्यों नहीं हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस आई० के गुण्डों और पुलिस वालों के डर से लोग थाने में नहीं लिखाते हैं। कांग्रेस आई० के गुण्डे और पुलिस वाले लोग कहते हैं कि यदि तुम थाने में लिखाने जाओगे तो अवैध ढंग से कोयला की खुदाई कर रहे हो उसमें नजरबन्द कर दिये जाओगे और आगे जब काम निकलेगा तो तुम लोगों को काम नहीं दिया जायेगा। इसी डर से लोग थाने में नहीं लिखाते हैं। ठीक आज वही स्थिति है कि कोई बाप अपने बेटे से कहता है कि जबतक तुम तैरना नहीं सीख लोगे तब तक पानी में घूसने नहीं दिया जायेगा। लेकिन यह सोचने की बात है कि जबतक कोई पानी ही में नहीं घूसेगा तबतक तैरना कैसे सीखेगा। यही हालत इस सरकार की है। × × ×

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास तीन नाम हैं जो मिल नहीं रहे हैं। जैसे हुरो दुसाध, २८ नं० गिरीडीह, जीव लाल दुसाध, बसमता, उमा दुसाध, कमसाखी। ये लोग लापता हैं अपने घर से और उनके घर वाले पुलिस के डर से थाने में खबर नहीं करते हैं। सरकार को इसका पता लगाना चाहिये कि ये लोग कहां गये। आज बहुत से राजनीतिक पार्टी के लोग अवैध ढंग से कोयला का खोदाई करवा रहे हैं। इससे देश कैसे आगे बढ़ेगा। सरकार को इसे रोकना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री मो० सरफराज अहमद—उपाध्यक्ष महोदय, पेट की आग बुझाने के लिये, कोयले की चोरी क्या ? इंसान कुछ भी कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, गिरिडीह के कोलयरी क्षेत्र में जितने भी दुर्घटनायें हुई, इसके लिये सारी जिम्मेवारी सी० सी० एल० और गलत पॉलिसी के वजह से हो रहे हैं। मैं एक बात बतला देना चाहता हूँ वह यह कि गिरिडीह में कोयले की चोरी लगभग १०-१५ वर्षों से थोड़ा-बहुत हो रही है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इलिगल माईनिंग, एक आम आदमी नहीं कर सकता है, जो छटनीग्रस्त मजदूर हैं वे लोग इसमें इनभोल्भ है,

पाद-टिप्पणी × × × —आसन से अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता दूं कि हमारे विरोधी पार्टी के नेता ने जो इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें इनभौल्भ हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। १३ फरवरी की जो घटना हुई, सी० सी० एल० के पदाधिकारी आये, इसकी इनक्वायरी हुई. लेकिन किसी भी इसमें मरने की कोई सूचना नहीं पायी, हमारे जिला के उपायुक्त ने भी दुर्घटना स्थल आये, ३० मील के एरिया में यह एनाउन्स करवाया यदि किसी व्यक्ति को इसमें मरने की सूचना हो तो वे दें, उनको कम्पनशेसन दिया जायगा, लेकिन कोई टर्न-अप नहीं हुआ। अंत में मैं अपने मुख्य-मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने केन्द्र सरकार से सम्पर्क स्थापित कर के जो खान सम्पदा है, उनको खोलवाने की कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं। मैं विरोधी दल के नेता को एक बात बतला देना चाहता हूँ कि जनता पार्टी के रिजम में कोल-डिपो के इतने ज्यादा लाईसेंस दिये गये कि किसी जमाने में उतना नहीं दिया गया होगा।

विरोधी पार्टी में जो लोग हैं, वे लोग गलत फहमी फैला रहे हैं कि इसमें ३०० लोग, ४०० लोग मारे गये, लेकिन ये लोग भी घटनास्थल पर गये थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वे किसी स्थान पर ऐसा पाया जैसा कि वे कह रहे हैं? बल्कि वे लोग सरकार को बदनाम करने के लिये यह साजिश हो रही है, यह बिल्कुल गलत बात है। माननीय सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी ने जो इल्जाम मंत्री के उपर लगाया है, अगर वे इस बात को प्रमाणित कर दें तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा और अगर नहीं प्रमाणित कर सकते हैं तो वे इस सदन से इस्तीफा दें, मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ। समाप्त।

श्रीमती रमणिका गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ खासकर भदुआ में जो खादान धंसा और वहाँ जो उनकी मृत्यु हुई, इसके बारे में। यह मामला कैसे घटी? किस तरीके से घटना घटी है। जिस तरीके से घटना घटी है, उसको दलगत न बनाकर अगर लोग मानवीय प्रश्न बनायें, इसके गहराई में जायं तो अधिक अच्छा होगा। मैं सदन को बतलाना चाहती हूँ कि भदुआ में जो इलिगल खादान चल रहे हैं, वे बराबर चलते रहे हैं और चलते रहेंगे क्योंकि बेकारी की जो समस्यायें हैं आदिवासियों के बीच, उनका समाधान नहीं हो सका है। उपाध्यक्ष महोदय, १३ तारीख को यह घटना घटी है, माइन्स एण्ड सेफ्टी विभाग के डायरेक्टर आये और उन्होंने अपने प्रति-

वेदन में लिखा है कि यह घटना तब हुई जब खादान चल रहा था और लोगों के की मरने की सम्भावना है, यह माइन्स एण्ड सेफ्टी, जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया अन्तर्गत है, के डायरेक्टर श्री आहूजा की रिपोर्ट है। इससे पहले पी० सी० एल० के ऑफिसर ने १०० बार एफ० आई० आर० कराया, श्री भाटिया जो डी० एम० ओ०, एफ० आई० आर० दर्ज कराया सी० सी० एल० के अधिकारी भी इस घटना के जिम्मेवार हैं, बिहार सरकार के अधिकारी भी इसके लिये जिम्मेवार हैं कारण यह है कि सी० सी० एल० के जो सिक्योरिटी गार्ड या जो दूसरे कर्मचारी लोग हैं, वे लोग गाईड करते हैं, एक्सप्लोसिभ देते हैं। सी० सी० एल० के अन्दर यह खादान चल रहा है। यही नहीं रानी सती घाट में भी सी० सी० एल० का माईन्स था। वहां के लिए एक माईन्स कमिटी बनी थी, मैं भी वहां इन्सपेक्शन में गयी थी। उस समय भी वहां लोग खदान चलाते थे और इस समय भी वहाँ लोग खदान चलाते हैं। कौन चलाता है और किसके गुण्डे चलाते हैं, जो चलाते हैं वे न कांग्रेस पार्टी के हैं और न किसी पार्टी के बल्कि ये तमाम लोग पैसे के हैं। एस० एस० तिवारी, सूर्यदेव सिंह, पाण्डेय, रामदेव यादव, बनर्जी नामक व्यक्ति हैं। मैं बतला रही हूँ कि ये लोग पैसे के हैं। उपाध्यक्ष महोदय ये बहुत बड़ा गैन्ग है। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसरों में हिम्मत होनी चाहिए, उन्हें पकड़ने के लिए सरकार के मंत्रियों में दम चाहिए, कोई भी उनके गोली का निशाना बन सकता है और जो भी हिम्मत करेगा वह उनके गोली का निशाना बन जाएगा। मैं बतला रही हूं कि जब मैंने उनलोगों की बातों को रखा था तो मुझे भी धमकी दी गयी कि जान से मार दिया जाएगा, उनलोगों ने मुझे धमकी दी कि जान से मार दिया जाएगा अगर इस बात को उठाया गया। करोड़ो रुपया की सम्पत्ति की चोरी बिहार सरकार की हो रही है। यही एक मुद्दुआ नहीं है, यह मुद्दुआ तो एक नमूना बनकर सामने आया है। रानी सती घाट हजारीबाग में बनबार कोयलरी में तीन तीन आदमी मारे गये। कोई इसकी रिपोर्ट लिखाने वाला नहीं है, क्योंकि यदि रिपोर्ट लिखायेगा तो उसकी रोजी रोटी छीन जाएगी। कोई सरकार के यहां चोरी की रिपोर्ट लिखाने जाएगा तो गरीब आदमी है उसे काम नहीं मिलेगी। वहां के लोग उसे कहते हैं कि अगर रिपोर्ट दर्ज कराने जाओगे तो नौकरी तो नहीं पाओगे और जान से मारे जाओगे। दोनों तरह की धमकी दी जाती है, दोनों तरह की धमकी उन लोगों को मिलती है। वहां के गरीब

आदिवासी और गरीब हरिजन इतना साहस नहीं करते हैं। एक हमीदा खातून नाम की औरत गायब हुई, एक मोहनी नाम की औरत की तो दर्दनाक कहानी है। पुलिस के लोग इनकी मदद नहीं करेंगे। पुलिस वाले नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं।

(शेमशेम)

वह औरत पेट में बच्चा रहते हुए भी चार दिन के बाद उस खदान में जहां घटना घटी, काम करने के लिए जाती है। सोचना है कि वे औरतें फिर भी वहां क्यों जाती हैं, वहां पर मरने के लिए क्यों जाती है, यह बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को एक नीति तय करनी होगी। जो भी बंद खदान हैं सी० सी० एल० के, उन्हें वाध्य किया जाए कि वे इसे चलायें ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले। सी० सी० एल० को बाध्य किया जाए कि जो बंद खदान हैं, उन्हें चालू किया जाए ताकि वहां के झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार मिल सके। उनको काम दिया जाए। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, एक सदन की कमिटी बनाकर इस घटना की जांच करायी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं टाटा के बारे में बोलना चाहती हूं। रिगूलयूशन एण्ड एवयूजूशन ऑफ कॉन्ट्रेक्ट एक्ट को सरकार ने लागू किया लेकिन वह टाटा में लागू नहीं हुआ हर जगह लागू हो गया। टाटा ने इसको नहीं माना, टाटा इसे नहीं मानेगी क्योंकि उसके पास बहुत धन है, वह सरकार की पूरी मिशनरी को खरीद लेती है, सरकार को ख़रीद लेती है, इनलोगों को खरीद लेती है। इसलिए टाटा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज वहां पर हजारों मजदूर हड़ताल पर हैं। अपने हक की मांग करते हैं। हर मजदूर रोजी-रोटी का परमानेन्ट मांग कर रहा है। इनलोगों की मांग पैसा काट रहा है लेकिन लागू नहीं कर रहा है। उन्हें कैजुअल में ही रखा गया है ठीकेदार के माध्यम से, इनका शोषण किया जा रहा है। इस तरफ सरकार का और मुख्य मंत्री का ध्यान जाना चाहिए। कमिटी बनाकर इसकी जांच करायी जाए ताकि टाटा को पकड़ा जा सके और उसे गिरफ्तार किया जाए। तभी कुछ निदान हो सकता है।- इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री रमाकान्त झा—उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी सरकारें आयी हैं...

(इस अवसर पर शोरगुल होने लगा)

चाहे वह जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सी०पी० एम० या सी० पी० आई० की सरकार हो, बात स्पष्ट यह है कि किस परिस्थिति में गोली चली और गोली चलाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, इसे भी देखना चाहिये। हमारे नेता श्री कर्पूरी ठाकुर जी भी हैं, वे मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, मैं उनका अदब भी करता हूँ। इनके समय में भी गोली चली थी। यह गोली समस्तीपुर में किस परिस्थिति में चली है। उधर से घटना का वर्णन १४ तारीख के बारे में किया गया है लेकिन १४ तारीख को नहीं बल्कि १२ तारीख से ही सम्बन्धित है। १२ तारीख को सभी कैदी जेल के छत पर चढ़ गये थे और ईंट तोड़कर छत पर जमा कर लिये थे। छत पर नारा लगाते थे और यदि कोई सिपाही या वार्डर उसके नजदीक जाने की कोशिश करता था तो उसपर ऊपर से ही ईंट बरसाना शुरू कर देते थे। उनको समझाने के लिए वहाँ के ए० डी० एम०, एस० डी० ओ० और थाना के इंचार्ज श्री शंभू प्रसाद गये। यह सही है कि उनकी कुछ मांगें थीं जैसे खाने के लिए जो सामान मिलता है, वह सही नहीं मिलता है, कम्बल कम मिलता है, मुलाकाती के साथ दुर्व्यव्हार किया जाता है, अमुक वार्डर उनके साथ ठीक सलूक नहीं करता है, इत्यादि। यह भी शिकायत थी कि दाल में पिल्लू था। लेकिन जिनके दाल में पिल्लू मिला था, उनको फिर दूसरा दाल दिया गया था। जेल अधीक्षक ने बताया कि अन्डर-ट्रायल प्रीजनर्स यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। कम्बल की कमी हो सकती है। जिस वार्डर के बारे में शिकायत थी कि जेल के अन्दर नहीं जाय, अधीक्षक ने कहा कि ठीक है वह वार्डर जेल के अन्दर नहीं जायगा। ये सारे फैसले हो गये थे। फिर भी कैदी लोग नहीं माने और अपना धंधा चलाते रहे। ऊपर से ईंट चलाते रहे। इस क्रम में एक ईंट थाना प्रभारी सब-इन्सपेक्टर श्री शम्भू प्रसाद को लगा और वे घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए और ३६ घंटे तक बेहोश रहे। इसके बावजूद भी उन्हें समझाया गया फिर भी वही स्थिति बनी रही। वहाँ पर रेलवे ओभरब्रीज है जिस पर हजारों लोग खड़े होकर उस तमाशे को देखते रहे। उनको बार-बार समझाया गया कि कानून को अपने हाथ में नहीं लें। जेल के जो अधीक्षक घर पर छुट्टी में चले गये थे, उनको भी इन कैदियों को समझाने-बुझाने के लिए बुलाया गया लेकिन कैदी लोग इनका भी बात नहीं माने।

उपाध्यक्ष—जल्दी समाप्त करें। सिर्फ विरोधी दल के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर

को ही १५ मिनट का समय मिला है। अगर आप ज्यादा समय लेंगे तो आपकी पार्टी के दूसरे लोग का समय कट जायगा।

श्री रमाकान्त झा—ठीक है, कट जायगा तो कोई बात नहीं है।

उन्होंने कहा कि आप समझायें, तरह-तरह की चेष्टा की गयी ताकि गोली चलने की नौबत न आये। गोली चली, यह अच्छी बात नहीं हुई लेकिन जब परिस्थिति भयंकर हो गयी, विधि व्यवस्था को लोगों ने अपने हाथ में ले लिया तो जिलाधिकारी या एस० पी० के लिए क्या चारा रह गया था। लोग कहते हैं कि एस० पी० हमारे रिश्तेदार हैं, मैं मानता हूँ कि रिश्तेदार हैं लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वही व्यक्ति १९७४ में रोहतास में डी० एस० पी० थे और उस समय अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री थे और उस समय उनको तीन महीने के अन्दर बी० एम० पी० में भेज दिया गया और उस समय विरोधी दल के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर ने कोई आवाज नहीं उठायी लेकिन यह बात आज जब होती है तो वे कहते हैं कि वे बड़े जुल्मी हैं। मैं विरोधी दल के नेता, श्री कर्पूरी ठाकुर से पूछना चाहता हूँ कि उस समय इनका आन्दोलन चल रहा था और वे आन्दोलन-कारियों पर कड़ाई नहीं कर रहे थे, जिसके कारण आपकी पार्टी की ओर से कहा जाता था कि वे अच्छे व्यक्ति हैं, इसीलिए उनको बदल दिया गया। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य सदा के लिए न तो अच्छा है, न तो बुरा है, यह तो परिस्थिति की बात है। किन परिस्थितियों में गोली चलायी गयी? जब उन लोगों ने नहीं माना, किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए, बहुत समझाने-बुझाने की कोशिश की गयी, इसपर भी नहीं माना तो उनपर पानी छोड़ा गया, उसपर भी लोगों ने नहीं माना तब टीयर गैस चलाया गया लेकिन चूँकि वे ऊपर में थे, इसलिए टीयर गैस का असर उनपर नहीं हो रहा था, इस तरह तीन दिनों तक उन लोगों ने गोदाम का ताला तोड़ कर चूरा और गुड़ ऊपर बैठे-बैठे खाते थे, नीचे रहने वाले कैदियों को तीन दिनों तक खाने-पीने नहीं दिया गया, दस-बारह कैदी ऊपर में नंगा नाच कर रहे थे तीन दिन-रात। लाचार होकर अधिकारियों को यह कदम उठाना पड़ा। यह सही कदम नहीं है लेकिन सवाल है कि इसके सिवा उपाय ही क्या था? जब कोई यह निश्चय कर ले कि कानून को तोड़ेंगे, किसी अधिकारी की बात नहीं सुनेंगे, विधि व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे और ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि जेल से बाहर चले जायं तो अधिकारियों के

समक्ष गोली चलाने के सिवा और क्या उपाय था। ऐसी परिस्थिति में गोली चलायी गयी। इसके लिए इनक्वायरी बैठायी गयी है, वह रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी, इसलिए अभी यह कहना कि गोली निरर्थक चलायी गयी, यह कहने का कोई औचित्य नहीं है।

विरोधी दल के नेता, श्री कर्पूरी ठाकुर ने लाल बहादुर राय के बारे में कहा कि वे नौजवान थे, मैं भी कहना चाहता हूँ कि यह सही बात है लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि १० तारीख को जब एस० डी० ओ० से सी० पी० एम० के सदस्य, श्री रामदेव वर्मा मिलने गये तो उनको जमानतदार होने के लिये कहा गया लेकिन उन्होंने बेल नहीं लिया। यह घटना १४ तारीख को घटी है, मैं विरोधी दल के सी० पी० एम० के विधायक, श्री रामदेव वर्मा से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने बेल क्यों नहीं लिया? तीन दिनों तक लाल बहादुर राय को जेल में बन्द रखा गया, वे कॉलेज से निष्काषित विद्यार्थी थे।

श्री रामदेव वर्मा—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अभी माननीय सदस्य, श्री रमाकान्त झा ने कहा कि एस० डी० ओ० से १० तारीख को मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप लाल बहादुर राय का बेल ले लीजिए लेकिन उनकी यह बात सही नहीं है। हम एस० डी० ओ० से १३ तारीख को संध्या ७ बजे मिले थे।

श्री रमाकान्त झा—तारीख में फेर बदल हो सकता है लेकिन आपको कहा गया कि आप परसनल बेलर हों, आप बेल ले लीजिए, उसके लिये कोई भेरीफिकेशन की जरूरत नहीं है। उस बालक के प्रति यदि उस अधिकारी को कोई द्वेष होता, तो वे कभी इनसे यह नहीं कहता कि आप इसका बेल ले लीजिए, हम इसको छोड़ देंगे। वह बालक १४ तारीख को मारा गया है, यदि १३ तारीख को ये छुड़ा लेते तो यह परिस्थिति नहीं आती, उस बालक की हत्या नहीं होती। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी चीजों की पृष्ठभूमि में जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसको पैदा करने के लिए विरोधी दल के माननीय नेता, श्री कर्पूरी ठाकुर जी जिम्मेवार हैं। वहाँ गोली क्यों चली, वे उस जिला के नेता हैं, वे जेल में क्यों नहीं गये, उनको आकर इन कैदियों को समझाना-बुझाना चाहिए था।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अगर एस० पी० साहब सूचना देते कि वहाँ पर गोली

चलनेवाली है तो हम फौरन वहाँ आ जाते। मुझको परिस्थिति की जानकारी होनी चाहिए थी। हमें खबर हो जाती और अधिकारीगण कहते कि हमारे आने की जरूरत है तो हम वहाँ फौरन आ जाते। घटना के पूर्व हम स्थिति के बारे में जानते भी नहीं। कलक्टर या एस० पी० ने हमसे मदद माँगी? आपको खबर नहीं करेंगे किसी काम के लिये तो आपको दोषी करार कैसे करेंगे। हमको कुछ खबर नहीं किया गया। हम तो वहाँ जाना चाहते थे जेल के अन्दर लेकिन जाने नहीं दिया गया।

श्री सुरेन्द्र यादव—श्री रमाकांत जी एस० पी० के सम्बन्धी हैं।

श्री राजमंगल मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, आज वाद-विवाद के लिए तीन समस्याएँ सदन के समक्ष हैं जिनमें समस्तीपुर गोली काण्ड सबसे निम्न स्तर का है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय, थोड़ी है। जेल में कैदी बन्द हैं, उनको दफा १०७ के अन्दर बन्द किया गया जो जुर्म का विषय नहीं है। उन कैदियों की मांगे क्या थीं? उनकी मांगे थीं—समय पर भोजन, जाड़े में ओढ़ने के लिये कम्बल और बिस्तरा। इन्हीं मांगों को लेकर, अधिकारियों ने उनकी बातें नहीं सुनी तो उन लोगों ने प्रदर्शन किया। माननीय सदस्य, श्री रमाकान्त झा, जो सोसलिस्ट पार्टी में रहे और आज भी उनके विचार सोसलिस्ट के हैं लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने कहा कि जेल में जो गोली चली है वह उचित ही चली पर मेरे विचार से वहाँ गोली चलने का कोई औचित्य नहीं था। जो कैदी जेल के अन्दर थे, उनसे कोई व्यक्ति मिल नहीं सकता था, उसके आन्दोलन में उनपर गोली चली जिसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि यह उचित है। आपने कहा कि लालबहादुर राय सी० पी० एम० के मेम्बर हैं, वे कॉलेज में किसी माँग को लेकर खड़े हुए तो दफा १०७ के अन्तर्गत उनको जेल में बंद किया गया। यह भी आपने कहा कि श्री रामदेव वर्मा जी ने बेल नहीं लिया तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि दफा १०७ के अन्दर कोई बंदी होगा और वह पहली दफा हाज़िर हो जायगा, तो उसे बंदी नहीं बनाना है। जब दूसरी दफा भी वह हाजिर नहीं होगा तब उसको बंद किया जायगा।

क्या मजिस्ट्रेट को यह नहीं चाहिए था कि पी० आर० पर छोड़ देते और यह कहते कि नेक्स्ट टाईम तुमको हाजिर होना है? अगर उचित मांग के लिए यदि

वे छत पर चले गये तो इसके लिए टीयर गैस और बन्दूक ही उपाय था जो उनको चिड़िया की तरह भूज दिये और वे लोग मारे गये ? क्या आप कोई दूसरा उपाय नहीं कर सकते थे ? जाड़े का दिन था। आप दमकल से पानी ही छिड़कवा देते और वे नीचे उतर कर चले आते। क्या आपने कोई अच्छा काम किया वहाँ ? आपको चाहिये था कि जिस कलक्टर और एस० पी० ने गोली चलाने का आदेश दिया था उनको दफा ३०२ में मुजरिम बनाते, उनको मुअत्तल करना चाहिये था या उनको इमीडिएटली वहाँ से ट्रांसफर कर देना चाहिये था। लेकिन आपने यह सब तो किया नहीं। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आप कहते हैं कि हमने जो कुछ किया है वह अच्छा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी बुद्धि ही मारी गयी है। महाभारत की बात है कि भीष्म पितामह जब वाण शैय्या पर सोये हुए थे तो उस समय द्रौपदी ने कहा कि जब भरी सभा में मेरी चिर हरण हो रही थी तो उस समय आप वहाँ थे किन्तु आपने भी कुछ नहीं कहा। इसपर भीष्म ने कहा कि उस समय मैंने कौरवों का अन्न खा लिया था। इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी थी। उसी तरह से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है। समस्तीपुर घटना के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ इन्होंने जो कुछ काम किया वह गलत किया है।

गिरीडीह कांड के बारे में कहना है कि इसके बारे में ८ मार्च को 'प्रदीप' अखबार में प्रकाशित हुआ था जो बहुत ही दुःखद है। प्रदीप में लिखा गया है कि इस मंत्रीमंडल के एक मंत्री वहाँ गये थे और वहाँ जो गलत काम कर रहा था उसकी पीठ थपथपा कर कह रहे थे कि तुमने अच्छा काम किया है। गिरिडीह में अवैध ढंग से कोयला निकालने का काम हो रहा है। मगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गिरिडीह से कोयला अवैध ढंग से निकालकर उत्तर प्रदेश ले जाया जाता है।

उपाध्यक्ष—अब आप खत्म करें।

श्री राजमंगल मिश्र—पेपर के संवाददाता वहाँ गये तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमको कहा जा रहा है कि यदि तुमलोग गवाही दोगे तो तुमको पीट-पीट कर मारेंगे। इस तरह से क्या गरीब लोग भय से गवाही दे सकते हैं ? मंत्री जी बैठे हुए हैं और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। इन्हीं तत्वों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ।

डॉ० रामराज प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने जो रिजोलुशन लाया है ठीका मजदूरों के बारे में और उन्होंने जो कहा है उसी के संबंध में मैं दो-चार बातें कहना चाहता हूँ। यह हमारा विचार-विमर्श है। मैं समझता हूँ कि लोग इसे सुनेंगे, अच्छा लगेगा तो ग्रहण करेंगे नहीं तो विचार-विमर्श के दौरान दूसरी बात भी वे कह सकते हैं। टाटा में ठीका मजदूरी चल रही है। पूरे भारत में और बिहार में भी अभी ठीकेदारी प्रथा का अन्त नहीं हुआ है। इस प्रथा का अन्त होना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो जमशेदपुर में हुआ, उस पर विचार करना है। टाटा का ही टेल्को है। उसमें ठीका मजदूरी का अन्त कर दिया गया है। क्या कारण हुआ कि टेस्को जिसका नाम दुनिया के कोने-कोने में है उसमें अभी भी ठीके की मजदूरी चल रही है। यह इसलिये मैं कह रहा हूँ कि कम्यूनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य श्री टीका राम मांझी ने इस संबंध में अपनी बातों को सामने रखा। उपाध्यक्ष महोदय, टाटा में यह संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। पहली बार तो १९५८ में मैंने उसे देखा था। सी० पी० आई के लोग टाटा वर्कर्स यूनियन जो है उसको लेने के लिये सब तरह के कुकर्म करने को तैयार हैं। पुनः युनियन जो अभी भी रिप्रजेन्ट करता है, उसको तोड़कर, सी० पी० एम० और सी० पी० आई० के लोगों ने ठीका के मजदूरों को जिनकी मांगें इस तरह की नहीं थी, उनसे हड़ताल करवा दिया। माननीय सदस्य श्री टीका राम मांझी ने कहा कि उसमें आदिवासी लोग ज्यादा थे। उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग नाम तो आदिवासी और हरिजन का लेते हैं लेकिन काम बनता है अपने लोगों का, अपनी पार्टी का, अपने नेताओं का। जिस तरह आदिवासीयों का शोषण किया है सी० पी० आई० और सी० पी० एम० वालों ने वह देखने लायक है। उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया कि लोग एक्साइटेड हो गये। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन थे एक्साइट करनेवाले? कहां से लोग आये थे? लोगों को चकुलिया और बेगुसराय से लाया गया था। ये सारी बातें जब हमलोग स्टीमेट कमिटी में टाटा गये थे तो मालूम हुआ था। बाजार में जब हमलोग घूम रहे थे तो ये सब बातें हमलोगों को बतलायी गई। ये लोग नाम लोकल लेबर का लेते हैं लेकिन काम बनता है बाहर के लोगों का। उपाध्यक्ष महोदय, टाटा का इतिहास आप देखेंगे तो मालूम होगा कि उसका इतिहास यही रहा है कि बाहर के मजदूर ही वहाँ लाये जाते हैं। यद्यपि टाटा ने यह नीति बदली है और यह प्रसन्नता की बात है। टाटा के जो वर्कर हैं वे आन्ध्र प्रदेश और पंजाब के हैं और

कुछ बंगाल के भी हैं। लोकल लोगों को नहीं रखा जाता था। पहली बार आदिवासियों ने यह जोर लगाया है और टाटा ने यह आश्वासन दिया था कि आदिवासी लोगों को वहां लिया जायगा, उनकी भर्त्ती वहां की जायगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये लोग आदिवासी और हरिजन को गुमराह नहीं करें तथा उनका नाम मंत्री की तरह नहीं जमा करें। टाटा चाहता है कि इस प्रथा का अन्त हो लेकिन सी० पी० आई० सी० पी० एम० चाहें तब ना हो। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी का कल्याण तभी होगा जब टाटा उसको ज्यादे-से-ज्यादे संख्या में रखेंगे।

श्री सूर्यनारायण यादव—उपाध्यक्ष महोदय, शर्म होती है जब माननीय सदस्य, समस्तीपुर में १३ आदमी की मृत्यु हुई, और वे कह रहे हैं समस्तीपुर में गोली चलाना अनिवार्य था। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे शर्म की बात यह है कि इनके नेता बोलते हैं कुछ और सदस्य बोलते हैं कुछ। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो विचार व्यक्त किया समस्तीपुर के घटना के संबंध में उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। रामाकान्त बाबू ने घटना के संबंध में जो कुछ कहा उससे विश्वास होता है कि वे गोली चलाने में विश्वास करते हैं। अगर यही नीति है तो गोली आप चलावें और जनता को मारे। माननीय सदस्य ने आरोप भी लगाया है कि कि वहां के एस० पी० रामाकान्त बाबू के संबंधी है। संबंधी होने के कारण आपको गलत का सपोर्ट नहीं करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने जो कहा है मैं उसका स्वागत करता हूँ और ट्रेजरी बेंच से पूछना चाहता हूँ कि विरोधी दल के नेता ने जो कहा कि सर्वदलीय समिति का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिये आप इसका अपोज क्यों करना चाहते हैं। अगर आप सच्चाई पर विश्वास करते हैं तो माननीय विरोधीदल के नेता ने जिस बात को कहा है कि सर्वदलीय समिति बनाकर इसकी जांच करावेंगे तो इसमें अपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, डॉ० जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बार-बार कहते हैं कि जनता पार्टी के शासन काल में ही सभी गड़बड़ी हुई। आपने ३० वर्ष राज्य किया लेकिन आप विहार को नहीं बढ़ा सके और आप कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार बिहार को पीछे ढकेल दिया। आप ३० वर्ष में टाटा बिड़ला को नेसनलाइज नहीं किया। टाटा को ये कैसे कुछ कहेंगे, ये तो उनके हवाई जहाज का उपयोग करते हैं। यह इनको शोभा नहीं देता है कारण, बिहार सरकार को जब प्लेन है तब फिर टाटा का उपयोग करना शोभा नहीं देता है। झरिया

कोलियरी में लोग मारे गये इसलिये कि वहां उनलोगों ने अपनी मांग रखी थी। समस्तीपुर में मांग रखी गयी तो गोली चली।

श्रीमती रामसुकुमारी देवी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुन रही थी सारी बातों को। हाथी के दांत एक खाने के लिये होता है और एक दिखाने के लिये। उसी तरह से विरोधी दल के नेता घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। जब १२ तारीख को जेल की छत पर कैदी चले गये तो क्या विरोधी दल के नेता का कर्त्तव्य यह नहीं होता है कि वहां जाकर देखे। सारी परिस्थति जो पैदा हुयी है, वह विरोधी दल के नेता के चलते हुयी है। वे अपना उल्लू सीधा करने के लिये एक गरीब आदमी के लड़के श्री लाल बहादुर राय की जान इन लोगों ने ले ली। उपाध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर में नामांकन के लिये हंगामा चला था। विरोधी दल के नेता ने सोंचा कि मामला ताजा है, भागलपुर में आंखफोरवा कांड हुआ है, क्यों नहीं समस्तीपुर में भी बिगुल बजा दिया जाय। मैं इनका नकाब करना चाहती हूँ कि राजनीतिक बातों को लेकर पोलीटीकली मोटिभेटेड होकर ऐसी परिस्थिति पैदा किया गया। कलक्टर कौन है, एस० पी० कौन है, सभी इन्हीं के लाये हुए हैं और आज इनको तकलीफ हो रही है। कर्पूरी जी वहां कब पहुँचे-जब मृतक का सिर्फ शरीर रह गया था तब पहुँचे। क्या यही विरोधी दल के नेता का कर्त्तव्य है ? कर्पूरी जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं—समस्तीपुर उनका कर्मभूमि है। वे वहां पर रहते और अपना कर्त्तव्य पूरा करते तब समझते कि इन्होंने अपना कर्त्तव्य पूरा किया। उपाध्यक्ष महोदय, जब में समस्तीपुर कचहरी गयी तो देखा कि जेल के छत पर सैकड़ों कैदी चढ़े हुए हैं। मैं जेल के अन्दर गयी और कहा कि आप लोगों की क्या मांगे हैं। उन लोगों ने कहा कि जेल मंत्री को बुलावो और देखें की भात और दाल कितना खराब है। मैं जेल में अन्दर जाकर भात को देखा—सब ठीक था, मसूर के दाल का मैंने कलेक्शन की और एक शीशी में रख लिया। उसके बाद कलक्टर और एस० डी० ओ० के यहां गयी। उपाध्यक्ष महोदय, दाल खराब थी भात और सब्जी ठीक था। तब हमलोगों ने माननीय दृष्टि से वहां के कैदियों से कहा आप छत से उतर जाइए—ठंढा की रात है नीचे उतर जाइए। दाल छोड़ दीजिये, भात और सब्जी खा लीजिये। ऐसी परिस्थिति वहां थी। लेकिन विरोधी दल के लोगों ने, कार्यकर्त्ताओं ने स्थिति को बिगाड़ दिया।

श्री कर्पूरी ठाकुर—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती रामसुकुमारी देवी हम से उस दिन

से नाराज है जिस दिन से उनके पतिदेव श्री रामश्रेष्ठ प्रसाद सिंह २-२ ट्रेजरी से समस्तीपुर और लहेरियासराय से स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर पेंसन ले रहे थे। जब मुझे मालूम हुआ कि वे दोनों जगह से पेंशन ले रहे हैं तो उसे हमने बन्द कर दिया। श्रीमती सुकुमारी देवी मेरे यहाँ जब मैं सरकार में था पैरवी करने आयी थीं। मैंने उनकी बातें नहीं मानी और पेंशन बंद कर दिया। तब से वे हमारे ऊपर बहुत नाराज हैं। मेरे विरुद्ध गलत-गलत अभियोग लगा रही हैं।

श्रीमती रामसुकुमारी देवी—उपाध्यक्ष महोदय, जब मेरे पति सोशलिस्ट पार्टी में थे और जिला के प्रधान थे उस समय कर्पूरी ठाकुर उनके अन्दर में काम करते थे। ये दल में काफी अनियमितता किया करते थे, उनके अनियमितता से क्षुब्ध होकर हमारे पति कांग्रेस पार्टी में चले आए। उसी दिन से वे हमसे नाराज हैं। साथ ही १९५२ में मैं उनका प्रथम प्रतिद्वन्दी थी जिसके लिए वे हमसे नाराज हैं।

(सदन में काफी शोरगुल)

श्री शिवचन्द्र झा—उपाध्यक्ष महोदय, यह परिपाटी नियमानुकूल नहीं है। कोई भी सदस्य किसी सदस्य को कुछ कहना चाहे और मोटिव इमप्यूट करे यह ठीक नहीं है। इस तरह की परिपाटी का सदन के कार्यक्रम नहीं आना चाहिए। यदि आती है तो कार्य संचालन में काफी कठिनाई होगी। मैं यह बात दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के लिये कह रहा हुं। यदि यह होता रहेगा तो इसका परिणाम बहुत बुरा परिणाम होगा। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस तरह की बातों को सदन में कभी प्रश्रय मिलनी नहीं चाहिए।

श्री कर्पूरी ठाकुर—उपाध्यक्ष महोदय, श्री शिवचन्द्र झा जी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी सदस्य के सम्बन्ध में मोटिव इम्प्युट करके सदन में नहीं बोलना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। मैं एक महीना से वहां पैर भी नहीं रखा हुं। तेरह तारीख को मेरा कार्यक्रम रोसड़ा में था और १४ तारीख को मैं समस्तीपुर गया। घटना घटने के दो घंटा बाद में। मैंने चाहा कि जेल के अन्दर जाऊँ लेकिन वहाँ के कलक्टर और एस० पी० हमको नहीं जाने दिये। श्रीमती उमा पाण्डेय भी वहीं थी उन्होंने भी हमको नहीं जाने दिया। आई० जी० नहीं जाने दिया।

उपाध्यक्ष—शांति, शांति। दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप लगाये गये हैं उसको मैं देखकर कार्यवाही से निकाल दूंगा।

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल)

श्री कर्पूरी ठाकुर—उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कहा है उनकी बात का मैं भेल्यु नहीं करता हूं। मुझे तो श्री जगन्नाथ मिश्र की सरकार से कहना है क्योंकि सारी बातें उनके रेकर्ड में है।

श्री सूरज मंडल—उपाध्यक्ष महोदय, सारे लोगों ने अपनी बात सदन में रखा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के सामने जो बातें रखी जा रही है, एक देहाती कहावत है कि अन्धा के आगे रोना अपना दीदा खोना है। यही हाल इस सरकार की है। जिसको रोना है रोये लेकिन इस सरकार को इससे कुछ होने वाला नहीं है। समस्तीपुर का ही नहीं बल्कि ऐसे कई कांड हुए हैं, चाइवासा में भी आंख फोड़ा गया पुलिस द्वारा और पुलिस के अधिकारी इस तरह का दुरव्यवहार किया करते हैं और सरकार उसको प्रमोशन देती है। कारण यह है कि होम कमिश्नर जो अभी पटना में हैं श्री अरुण पाठक वे पहले भागलपुर में कमिश्नर थे। उन्हीं के समय में भागलपुर में आंख फोरवा कांड हुआ और आज उनको होम कमिश्नर बनाया गया है। चाइवासा में गोवा कोली में ही जिस तरह का कांड हुआ तमाम सदस्य बात कर रहे थे कि डी० एम० और एस० पी० को निलम्बित किया जाय लेकिन नहीं किया गया। चाइवासा में आदिवासी एस० पी० श्री रामेश्वर उरांव था जो वहुत ईमानदार था और उसने कोई पाप नहीं किया था लेकिन कांड होने के वाद उसे वहां से हटाकर एस० पी० रेलवे में बदली कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, ये कोयला खाद्यान्न की बात करते हैं। इनके सारे औफिसर और नेता मिलकर कोयले का तस्करी करते हैं। पता ही नहीं चलता कि कोयला खाद्यान्न भी छोटानागपुर और संथालपरगना में है। मुझे चिन्ता इस बात की है सदन में कोई भी सदस्य हो सरकार से इन्साफ की बात नहीं करते। यदि करते हैं तो वह गलत होगा।

टाटा का सवाल है। टाटा का फैसला यह सरकार नहीं कर सकती, सदन नहीं कर सकता। हमारे जमीन पर टाटा है। हम फैसला कर दिखावेंगे। टाटा जहां है वहां जुल्म किया है जिसका कोई उदाहरण नहीं है। टाटा में पहले उड़ीसा

के तेलगू लोगों को भरती किया जाता था और तमाम दूसरे जगह से लोग ले जाते थे लेकिन छोटानागपुर और संथालपरगना के लोगों को नहीं रखा जाता था। देखने से मालूम पड़ता है कि वहां छपरा और आरा बना हुआ है। इस तरह से गुण्डों को वहाँ पाला जा रहा है। आदिवासी की जमीन पर टाटा बैठी है। लेकिन किसी भी आदिवासी को रोजी नहीं दी गयी। नोआमुंडी जहाँ पर हवाई अड्डा बना है, टिस्को ने जमीन लेने के वक्त कहा था कि गरीबों को नौकरी देंगे, लेकिन हवाई अड्डा बनने के बाद उनलोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया गया। वहाँ जितने भी मजदूर हैं यदि उनको परमानेंट किया जाता है तो अठारह करोड़ रुपये का सवाल है। स्थाई करने के बाद ये अठारह करोड़ रुपये टाटा के दलालों के हाथ नहीं जायेगा। इसलिये सरकार उनको न नौकरी देना चाहती है और न उन्हें स्थाई करना चाहती है। टाटा की जमींदारी उस क्षेत्र में बना हुआ है। जमीन पर वह बैठी है लेकिन वहाँ के लोगों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वहाँ जो भी एस० पी० रहे हैं, डी० एम० रहे हैं उनके जात के भाई भतीजे से सैकड़ों आदमी को नौकरी दिया गया है। उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता है लेकिन वहाँ के गरीब लोग बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, टाटा के कारोबार का मैं उदाहरण देना चाहता हुं। वहाँ उड़ीसा कोशी स्टेशन से रॉ मेटेटियल लेते हैं और वहाँ उनके आदमी रहते हैं जो उसको उतरवा कर कलकत्ता में सप्लाई करते हैं। टाटा में जाकर देखिये। जो टाटा की जमीन है वहाँ के गरीब लोगों के उस कारखाना से विस्थापित किया गया था और उनकी जमीन पर तमाम लोगों को सोनारी में जमीन देकर टाटा ने बसाया है। टाटा में बिहार सरकार का राज नहीं है बल्कि वहाँ पर टाटा का राज है। मैं दावे के साथ कह सकता हुं कि अगर माननीय सदस्य इस सरकार से उन ठीकेदार मजदूरों का हक चाहते हैं तो गलत है, अगर सही माने में आप माननीय सदस्य चाहते हैं कि मजदूरों को हक मिले तो वहाँ की जमीन पर जाकर बदला लेना होगा।

श्री तानेश्वर आजाद—उपाध्यक्ष महोदय, भदुआ कोयलरी धंसने की बात चल रही है। उसके बारे में मैं कहना चाहता हुं कि किसी चीज को पोलिटिकल बना देने से असल चीज का पता नहीं चलता है। चाहे कोई बोलें। लेकिन पोलिटिकल कलर देकर बोलते हैं। असली बात यह है कि १९५६ में उस

कोयलरी को सी० सी० एल० ने मृत घोषित किया है और उसमें से कोयला निकालने का सवाल नहीं है।

श्री रमेन्द्र प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, सी०सी०एल० १९५६ में नहीं बना था। माननीय सदस्य को बता दिया जाय।

श्री तानेश्वर आजाद—जो मजदूर थे वहाँ रोज पर काम नहीं चलाया जाता है और खासकर मजदूर लोग चोरी से कोयला निकालते हैं। वहाँ कोई ठीकेदार नहीं, कोई खदान नहीं चलता है और चोर-चोर मौसेरे भाई। जो लोग मरे हैं उनमें से सिर्फ ७ लोगों का एफ० आई० आर० दिया गया है। लेकिन बराबर कहते हैं कि "खोदा पहाड़ निकली चुहिया।" मरे तो पहले दिन से ३०० से शुरू किया और तीन पर आकर रुक गये। अगर मरे तो उसका मापदण्ड होना चाहिये कि कितने लोग मरे। आमतौर पर यह होता है कि मरने के बाद पुलिस इंक्वायरी होती है, सी० सी० एल० का ब्रांच जांच करता है, उसके बाद वहाँ के पदाधिकारी जाँच करते हैं, वहां के डी० सी० से भी जाँच करायें। आखिर कोई पार्टी पौलिटिक्स वाली बात करता है तो जो मरा है उसके परिवारवालों को लाया क्यों नहीं कि हमारा भाई मरा है, हमारा बेटा मरा है, हमारा मर्द मरा है। मरता कहाँ है और डिक्लेयर सदन में होता है। वहाँ भी कोई बोलने वाला नहीं है। कहे तो किसी की बात। हम किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते हैं। जैसे अंधड़ का झटका आता है तो सबसे पहले झटका में धूल उड़कर आँख में पड़ती है और उसी तरह पेपर में निकल गया कि इतने लोग मर गये। उनका कोई परिवार था या अकेले वहाँ रहते थे। ऐसे ३०० जो मरे हैं वह अकेले तो नहीं होंगे बल्कि उनका परिवार कहीं न कहीं जरूर होगा कोयलरी धंस गया और वे लोग मरे लेकिन उनका परिवार कहाँ है जो किसी को खोजनेवाला नहीं है। कोई भी यह जानने के लिये नहीं आता है कि फलाँ मरा है वह हमारा परिवार था। यदि कोई आता है तो किसी व्यक्ति के पास आता है जैसे माननीय सदस्या श्रीमती रमणीका जी बोली हैं कि हमीदा, कोई कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का है, कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी का है तो कोई कहता है फलाँ पार्टी का है। कुछ नहीं। ये सब चोरी करते थे और मरनेवालों की जहाँ तक बात है सी० सी० एल० का सेफ्टी वाला आया है और कहता है कि

कुछ नहीं वहाँ पड़ा हुआ मिला है। आप हीं भला बताइये कि जब कोयलरी धंसने लगेगा तो सब लोग वहाँ बैठे रहेंगे, नहीं वह भोगेंगे। असलीयत बात यह है कि इसमें कुछ नहीं है।

श्री रामदेव वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो समस्तीपुर गोली काण्ड हुआ, वह पूर्व नियोजित काण्ड है। ९ जनवरी को ४ बजे शाम में यह षड्यन्त्र रचा गया, जिसमें कालेज के प्राचार्य, एस० पी० आदि भी हैं। एक तरफ श्री जगन्नाथ मिश्र जो शिक्षा के विकास का दावा करते हैं तो दूसरी तरफ सही मांग को लेकर आन्दोलन करनेवाले छात्र श्री लाल बहादुर राय की गिरफ्तारी कर आन्दोलन को कुचलने का षड्यन्त्र करते हैं। ९ जनवरी को एस० एफ० आई० छात्र नेता श्री लाल बहादुर के नेतृत्व में कालेज में छात्रगण स्नातक कक्षा की तृतीय वर्ष में पढ़ने हेतु सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया द्वारा १०७ भा० द० वि० के तहद और १० जनवरी को एस०डी०ओ० समस्तीपुर ने उन्हें जमानत मंजूर करते हुये जमामतदारों की जाँच प्रतिवेदन देने का आदेश पुलिस इन्सपेक्टर, समस्तीपुर को दिया और तब तक जाँच प्रतिवेदन नहीं दिया गया तबतक कि एस० एफ० आई० नेता श्री लालबहादुर राय की निर्मम हत्या की योजना पूरी नहीं कर दी गयी। इस पूर्व सुनियोजना योजना में डाक्टर जगन्नाथ मिश्र भी सम्मिलित हैं। जेल पदाधिकारी ने १३ जनवरी के शाम में ही कहा था कि मात्र ६ से ७ सौ कैदी ही अब आन्दोलन पर हैं, उन्हें कल तक मना लिया जायगा। दिनांक १७ जनवरी के १०.३० बजे जब जिलाधिकारी ने जेल के कैदियों पर गोली चलाने हेतु जेल के गेट खोलने को कहा तो जेलर ने कहा कि अल्लाह पर रहम खायें, मैं इन लोगों को मना लूंगा। गोली चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे सुना नहीं गया और बी० एम० पी० द्वारा और अन्य पुलिस द्वारा गोलियाँ चलायी गयी। गेट जबर्दस्ती खोलवाया गया और लालबहादुर राय की निर्मम हत्या की गयी। हमको मालूम हुआ है कि लाल बहादुर राय को १४ ता० के पहले १३ को या ९ के पहले पिछले तिथि से रेकर्ड में फर्जी एफ० आई० आर० दर्ज करवाकर ननबेलएबल वारंट निकाला गया इसलिये कि गोलीकांड को जस्टिफाई किया जा सके और लाल बहादुर राय की हत्या के योजना बताने वाले पदाधिकारी बच सकें। विरोधी दल ने मांग की थी कि सभी दलों की एक जाँच समिति बनायी जाय लेकिन डा० जगन्नाथ मिश्र ने

क्या किया ? मेरे साथ क्या हुआ यह मैं कहना चाहता हूं।

(शोरगुल)

अगर सदर में घटना को सुनने की क्षमता सत्ताधारी दल में नहीं है जबकि आँखों से मैंने घटना देखा है तो मैं क्या नहीं कहूँ । मुझे कहने दिया जाय। १०.३० बजे मैं वहां था । १४ तारीख के शाम को समस्तीपुर में सभी जगह समाचार भेजने का साधन काट डाला गया और मुख्य मंत्री डा० जगनाथ मिश्र ने पटना में अफसरों की एक बैठक करवाकर इस हत्याकांड से अपने को बरी करने के लिये ८ बजे एक समाचार सरकुलेट करवाया जिसका हेडिंग था कि न्यायिक जांच कमीशन बहाल की जायगी जिससे की समस्तीपुर जेल गोली कांड की न्यायिक जांच हो सके मैं कहना चाहता हूँ कि इस कांड की जानकारी डा० जगनाथ मिश्र को पहले से थी और इन्हीं के एडवाइस पर समस्तीपुर में उक्त निहत्थे आन्दोलनकारी कैदियों की निर्मम हत्याकांड की गई है। जितने भी कैदी मारे गये हैं उनका हत्यारा एक मात्र डा० जगनाथ मिश्र ही हैं। इसलिये मैं सदन से अपील करता हूँ कि वह उन्हें बर्खास्त करें और उनको इस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मिश्रजी को थोड़ा भी आत्म गौरव है तो सदन में ही मिश्रा जी इस्तीफा देने की घोषणा करें।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का समय हो गया, कृपया बैठ जायं।

श्री शमशुद्दीन खां—उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में जमशेदपुर में टाटा ठीकेदार कामगरों की जो हड़ताल हुई थी इसके बारे में वहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। उसके सबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री गणेश प्रसाद यादव—उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। विरोधी पक्ष ने प्रस्ताव को मुव किया है इसलिये उसको समय मिलना चाहिये। मुवर को समय मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष—मुवर को समय मिल रहा है और दल के आधार पर भी समय मिल रहा है।

श्री गणेश प्रसाद यादव—यह तो स्पेशल डिबेट है इसलिये मुवर को समय मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष—हर दल के ह्वीप ने अपने दल के लोगों का नाम दिया है।

श्री गणेश प्रसाद यादव—लेकिन मुभर को समय मिलना चाहिये क्योंकि वह स्पेशल डिबेट है।

श्री शमशुद्दीन खां—उपाध्यक्ष महोदय, समय कम रहने के कारण मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। जो स्ट्राइक हुआ है वह किस बुनियाद पर हुआ है, किस बेस पर हुआ है यह सभी लोग जानते हैं। यह मामला १९७० से चल रहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि ठीकेदारी प्रथा को खतम किया जाय और परमानेन्ट नेचर के मजदुरों को रखा जाय, उनको परमानेन्ट किया जाय मैं विरोधी दल से पूछना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार थी और मजदूरों के लिये इनको इतनी हमदर्दी है तो अपने समय में उनको क्यों नहीं परमानेन्ट किया ? आज ये लोग इतना बड़ा प्रोबलेम खड़ा किये हुए हैं। इनलोगों के राज्य में भी यह डिसीजन उस वक्त लिया गया था जबकि टेल्कों में टेम्पोरेरी और ठेकेदार मजदूरों को परमानेंट किया गया था तो उस वक्त बड़ी कम्पनियों को क्यों छोड़ा गया। यह इस बात को साबित करता है कि बड़ी मछली को पाल कर आप रखना चाहते थे जो अंडा देती रहे। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो वहाँ हड़ताल हुई है, हम भी मजदूर हैं और हम भी चाहते हैं कि जो अस्थायी मजदूर हैं उन मजदूरों को परमानेंट किया जाय। जो ७ हजार कारखाने हैं काम करने वाले मजदूर हैं उनके बच्चों को काम पर लेने का एग्रीमेंट है तो उनके बारे में क्या होगा ? दूसरी बात मैं सी० पी० आई० के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आज उनलोगों द्वारा कहा जाता है कि इन आदिवासियों के साथ डा० जगन्नाथ मिश्र की सरकार द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या झारखण्ड पार्टी में आदिवासी नहीं हैं, क्या हुल झारखण्ड में आदिवासी नहीं हैं, क्या शिवसेना दल में आदिवासी नहीं हैं ? इन तमाम पार्टियों ने मिलकर इसका विरोध क्यों किया ? उनलोगों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे लोग जानते थे कि ये आदिवासियों के हित में लड़ाई नहीं रह रहे हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि इन तमाम सी० पी० आई० के लोग इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता पार्टी की भी सरकार रही तो आप लोगों ने क्यों नहीं उनको परमानेंट करवाया। जनता पार्टी के राज्य में हड़ताल हुई थी और उस वक्त दीनानाथ

पाण्डे जी भी थे तो इन्हीं के पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन मजदूरों पर आपने क्यों लाठी चार्ज करवाया ?

उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ। माननीय सदस्य श्री राजकुमार पूर्वे बोलेंगे।

श्री राम परीक्षण शाह—दल के आधार पर भी सदस्यों को आप बोलने का मौका देंगे तो कांग्रेस (आई०) के चार सदस्य बोलेंगे तो हमारे दल के एक सदस्य बोलेंगे। हमारे दल के एक माननीय सदस्य जो आदिवासी हैं उनको बोलने का मौका दिया जाय।

उपाध्यक्ष—श्री राजकुमार पूर्वे के बाद वे बोलेंगे। श्री राज कुमार पूर्वे, आप संक्षेप में खत्म करें।

श्री राजकुमार पूर्वे—उपाध्यक्ष महोदय, तीन-तीन विषयों की चर्चा करनी है और ५-७ मिनट में इसकी चर्चा करना सम्भव नहीं है। लेकिन समस्तीपुर और मदुआ के बारे में एक-एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने कहा है कि समस्तीपुर में क्यों घटना घटी और इससे क्या बिहार का नाम बिहार के अन्दर या बाहर देश में और विदेश में क्या हुआ है यह मैं कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके सम्बन्ध में क्या लिखा है मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

But in this respect as in most other things are a lot worst in Bihar than anywhere else. In 1979 Mr. K. N. Rostomji a member, of Police Commission and highly respected police officer brought to light a very horrible condition in two of Bihar Jails but nothing was done. The result is that Samastipur outrage has come in the wake of the unspeakable Bhagalpur blinding, confirming Bihar's dubious reputation as the country's worst administered State in deed a virtual area of darkness.

उपाध्यक्ष महोदय, उपर्युक्त न्यूज १७-१-८१ को 'टाइम्स औफ इंडिया' का है जिसमें कहा गया है कि भरचुअल एरिया औफ डार्कनेस कहा गया है। इससे ज्यादा बिहार का और देश का नाम क्या डूब सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं गिरिडीह के भदुआ कोयलियरी के बारे में जो १५ फरवरी, ८१ को 'इंडियन नेशन' में निकला है उसका एक आर्टिकिल पढ़ कर आपकी इजाजत से सुना देना चाहता हूं। जो इस प्रकार है :—

"MINE MISHAP, RELATIVE CAN'T EVEN WEEP OPENLY."

Even after 96 hours of the accident no serious efforts have been made either by district administration or the C. C. L. authority to locate a possible servival.

उपाध्यक्ष महोदय, यह क्यों होता है, कौन कराता है, स्मगलर और गुण्डा कौन है इसके बारे में 'इंडियन नेशन' ने लिखा है जो इस प्रकार है :—

Informed sources told the visiting P. T. I. that DADAS here are exploiting poor minor for the illeagal mining and minting money. The most powerful among them is a local Cong. (I) leader having patronage of some of the members of Bihar Ministry. He was mere truck driver six year ago but now he owns a palacical building here and a fleet of mercedes trucks illegally used in the srmggling of cal illegally miniral mainly from Serampur Bhadua, ..." ......They have the patronage of local police & C. C. L. authorities as they are given their due shares.

उपाध्यक्ष महोदय, उपर्युक्त रिपोर्ट १८-२-८१ को छपी है जिसमें कहा गया है कि सी० सी० एल०, पुलिस और मिनिस्टर के मिलिभगत से यह इललीगर माइनिंग होती है। समस्तीपुर में भी ऐसा ही हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय जमशेदपुर के बारे में मैं दो मिनट में कहूंगा कि बिहार सरकार और वहीं के मैनेजमेंट के लोगों के बीच और यूनियन के लोगों के बीच ७-८-७९ को जो साईन हुआ है उसे वे लागू नहीं कर रहे हैं। जब टीन प्लेट फैक्टरी लागू किया तो इसको क्यों नहीं कर रहे हैं ? १२ से १८ करोड़ रुपया इस एग्रीमेंट के अनुसार देना है लेकिन टिस्को नहीं दे रहा है और यहाँ के लेबर मिनिस्टर के बारे में खुल्लमखुल्ला कह रहा है कि उनके घर के लोगों को नौकरी दे दिया है, लेबर मिनिस्टर कुछ

नहीं दे सकते हैं। जब यहाँ के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को उसने खरीद लिया है और जो कानून बना हुआ है सरकार आदेश को नहीं मानता है तो मैं कहूंगा कि इसके लिए क्या उपाय है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इसे विदड्रा करें। (शोरगुल)।

श्री राजकुमार पूर्वे—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि तीनों कांड की जांच के लिए सदन की एक कमिटी बना दी जाय जिसमें सभी दल के लोग रहें तभी इंसाफ होगा, यह सरकार टाटा के हाथों बिक चुकी है।

श्री गणेश प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल की ओर से जो सामान्य लोक हित के तीन विषय सदन में विचार विमर्श के लिये पेश किये गये हैं उसका मैं समर्थन करता हूं। समस्तीपुर जेल में जो गोलीकांड हुआ वह घटना अत्यन्त ही दर्दनाक एवं शर्मनाक है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझ ऐसा लगता है कि जानबूझकर असलियत को छिपाना चाहते हैं, सच्चाई पर पर्दा डालना चा ते हैं। समस्तीपुर जेल में गोली काण्ड हुआ उससे पहले १२ तारीख को कैदियों ने जेल में हड़ताल शुरू की।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

उपाध्यक्ष महोदय, उन कैदियों ने हड़ताल किसलिए शुरू की? वे अच्छे रोटी अच्छे कपड़े और कंबल की मांग कर रहे थे। ये सब चीजें उन्हें घटिया किस्म की दी जाती थी। जब उनकी ये मांगें पहले से थीं तो उसकी पूर्त्ति की जा सकती थी। उनकी मांग पर विचार करने के लिए वहाँ के कलक्टर, एस० पी०, आई० जी० प्रिजन थे, विचार कर उसे पूरा करने की दिशा में कारंवाई कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस काण्ड को कराने के लिये प्रयास किया। १२ तारीख को जब हड़ताल चल रही थी तो उन हड़तालियों की मांग को पूरा करके उन्हें मनाया जा सकता था। १४ तारीख की घटना की बात कही जाती है उस दिन कैदियों को सेल में वन्द करके उन्हें दण्ड देकर छोड़ा जा सकता था। लेकिन उन पर गोलियां बरसायी गयी और इस तरह से उनके साथ जघन्य अपराध किया गया जो शर्मनाक है। इस घटना के बारे में श्री रमाकांत झा और श्री रामाश्रय

राज जी बोल रहे थे। मैं उनकी बातों को सुन रहा था। अध्यक्ष महोदय, उस घटना के बारे में इनलोगों का कहना था कि विरोधी दल के नेता वहाँ क्यों नहीं गये। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता उस दिन समस्तीपुर गये हुये थे। वे जेल के अन्दर जाना चाहते थे लेकिन उन्हें आई० जी०, कलक्टर, और एस० पी० ने जाने नहीं दिया। वहाँ राज्य मंत्री, श्रीमती उमा पाण्डेय भी उपस्थित थीं, उन्होंने भी जाने की अनुमति नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, अखबारों के माध्यम से, सदन के माध्यम से मांग की जा रही है कि जो अत्याचार हुये हैं उसके विरुद्ध कारंवाई हो और कलक्टर, एस० पी० को ससपेन्ड किया जाय, मुअत्तल किया जाय, तबादला हो। उनलोगों का तबादला क्यों नहीं हो रहा है ? माननीय सदस्य श्री रमाकांत झा जी बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि वहाँ के एस० पी०, श्री कुंवर, श्री रमाकांत झा जी के सम्बन्धी हैं। श्री शिवनन्दन पासवान का जहाँ घर है पातेपुर वहाँ के वह एस० पी० रहने वाले हैं। डा० जगन्नाथ मिश्र के भी सम्बन्धी हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटना होती रहेगी तो राज्य का क्या होगा ? यह गंभीर घटना है। यह सरकार बिल्कुल निकम्मी है, जो सरकार बंदियों पर गोली चलाये उसे रहने का कोई नैतिक हक नहीं है।

श्री दीनानाथ पांडे—अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का समय दिया जाय। जमशेदपुर से मेरा बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। जिस विषय पर यहाँ चर्चा हो रही है उससे भी मेरा बहुत सरोकार है। मैंने इसी विषय पर सदन में शून्य काल में प्रश्न उठाया था, सदन का वहिर्गमन किया था, आमरण अनशन किया था। मुझे समय देने का कष्ट करें। मुझे बोलने दिया जाय।

श्री मुंशी लाल राय—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बोलने के समय के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए और समय दिया जाय। नियम १०७ को देखें।

अध्यक्ष—आपने नियम १०७ का हवाला दिया है लेकिन यहाँ जो अभी चर्चा चल रही है वह नियम ४३ के अधीन है। आपने अल्प अवधि की चर्चा उठाने वाली बात कही है। ऐसे सार्वजनिक लोकहित के विषय को कार्यमंत्रणा समिति में रखकर वहाँ से राय लेकर ही सदन में विचार विमर्श के लिए रखा है।

श्री मुंशी लाल राय—लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप भी नियम से कहीं न कहीं जरूर बंधे होंगे। इतना असीमित अधिकार को है लेकिन फिर भी आप भी नियम से कहीं जरूर बंधे हैं।

अध्यक्ष—पाँच बज वाला है और पाँच बजकर दस मिनट से सरकार का जवाब होना है तो मैं क्या करूं। तीन घंटा का समय था और बीस माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर करके यह प्रस्ताव दिया है। हम यह नियम ४३ के अनुसार कर रहे हैं।

श्री पीरमुहम्मद अंसारी—अध्यक्ष महोदय,

जी में आता है लगा दूं आग कोहेतूर में।
फिर ख्याल आता है मुसा बे वतन हो जायगा।।"

अध्यक्ष महोदय, मैं अनावश्यक बातों को लेकर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, वरना मेरे पास भी बहुत से प्रमाण हैं, जिसके बारे में विस्तृत रूप में प्रकाश डाल कर उनके (विरोधी पक्ष) मुंह पर कालिख पोत सकता हूं। आये दिन विरोधी पक्ष की ओर से तू, तू–मैं, मैं किया जाता है और सदन का समय बर्बाद किया जाता है, और ऐसी कोई बात इनके द्वारा नहीं की जाती है जो इस प्रान्त के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी हो सके। अध्यक्ष महोदय, अभी हमलोग चर्चा कर रहे हैं समस्तीपुर जेल गोली कांड के विषय में, निसंदेह चाहे समस्तीपुर जेल गोली काण्ड हो या अन्य दूसरे गोली काण्ड हो, यह निन्दनीय है, अमानवीय है, असंवैधानिक है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद है समस्तीपुर के काण्ड में जो अपराधकर्मी थे, वे लोग जो कोहराम मचाये रखे थे, जो स्थिति पैदा कर रखे थे वह बहुत ही विस्फोटक था। अध्यक्ष महोदय, एक बेगुनाह को बचाने के लिए १० गुनहगार को दबाया जा सके तो यह कोई गलत काम नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य एवं विरोधी दल के नेता से जो इस प्रान्त के तीन-तीन बार मुख्यमन्त्री हुये, वे बतला सकते हैं कि वे क्या अपराधकर्मियों को दाल में घी दिया करते थे? जो आज कहते हैं कि दाल में पिल्लू था, अपने जमाने में वे क्या इन लोगों को पकवान खिलाया करते थे? अध्यक्ष महोदय, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अमानवीय और असंवैधानिक कार्य नहीं होना चाहिये।

हमारे माननीय सदस्य श्री दीनानाथ पाण्डेय शायद बोलने के लिये बड़े बेताब हैं, मैं उनके सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं कि १९६७ में जब महामाया बाबू मुख्यमंत्री थे, श्री कपूरी ठाकुर, उप-मंत्री थे और श्री दीनानाथ पाण्डेय माननीय सदस्य थे, तो जमशेदपुर में रामनवमी के अवसर पर क्या कुकर्म नहीं किया था, यह इतिहास साक्षी है, मासूम बच्चों को आग में झोंका गया; कितने कत्लेआम किये गये; उस समय उप मुख्यमंत्री श्री कपूरी ठाकुर थे, रूद्रप्रताप सारंगी, विजय कुमार मित्रा जो मंत्री थे, जिन्होंने अपने हाथ में छूरा और भाला लेकर चलाया था।

श्री दीनानाथ पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य बे-मौसम शहनाई बजा रहे हैं, जो असत्य बातें ये कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसे प्रोसिडिंग से हटाया जाय, निकाला जाय, इन्होंने जो आरोप लगाने की चेष्टा की है, यह असत्य है, इसे प्रोसिडिंग से निकाला जाय।

श्री पीरमुहम्मद अंसारी—यह सदाकत है, जिसे छिपायी नहीं जा सकती है, अध्यक्ष महोदय, यदि समय दिया जाय तो मैं विस्तृत प्रकाश इस पर डाल सकता हूं।

श्री मुंशी लाल राय—अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता ने जो विशेष बहस का प्रस्ताव रखा है उस पर बहस हो रही है, इसमें तीन घटनाओं का जिक्र है, एक घटना समस्तीपुर जेल गोली काण्ड से संबंधित है, दूसरा भदुआ से संबंधित है और तीसरा टाटा के जुल्म से संबंधित है। इन तीनों घटनाओं पर- कांग्रेस पार्टी में आज ऐसा कोई भला आदमी नहीं है जो मामूली रेल की दुर्घटना पर इस्तीफा दे दे, ऐसा कोई आदमी बचा नहीं है। समस्तीपुर से बड़ा-बड़ा जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं, लेकिन हटेंगे नहीं, इनको खरोंच लगने वाला नहीं है, लालबहादुर शास्त्री वाला खून नहीं बचा। श्री लालबहादुर शास्त्री की तरह का आदमी कोई अब नहीं है जो एक रेल दुर्घटना पर इस्तिफा दे दे। राजेन्द्र प्रताप सिंह जी आपको शर्म नहीं है, योगेश जी, आपको जरा भी शर्म नहीं है कि आप टाटा के जुल्म पर चुप है। आप कम-से-कम लज्जावश इस्तिफा तो दे दीजिए। मैं एक अखबार के एक दो लाईन का जिक्र करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस घटना के बारे में एक अखबार भू-भारती में छपी है कि

शायद उनके प्रयासों से मामला सुलझ जाता परन्तु तभी कल्याणपुर से इन्दिरा कांग्रेस की विधायक श्रीमती रामसुकुमारी देवी का आना हुआ। कैदियों को उन्होंने अपने जोशीले भाषण से भड़काया कि उनकी मांगें जायज हैं और उन्होंने कैदियों को यकीन दिलाया कि वह मुख्य मंत्री और जेल मंत्री को जेल में बुलाकर लाएंगी। पर वह लौटकर नहीं आई कैदी और अड़ गये और अपनी मांगों को माने जाने पर जोर देने लगे। कलक्टर अनूप मुखर्जी पटना गये हुए थे। प्रभावति जी आपको बाल बच्चा है, आपने बंदी कैदियों की हत्या करवायी, इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए; आपको कम-से-कम मंत्री के नाते नहीं तो महिला के नाते ही इस्तफा कर देना चाहिए।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश—अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने शब्द भुतना का एक माननीय सदस्या के बारे में उपयोग किया है। यह जनता की प्रतिनिधि हैं, इनके बारे में ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसको प्रोसिडिंग से हटाया जाए।

श्री मुंशी लाल राय—अध्यक्ष महोदय, भुतना एक महिला का नाम था, इसलिए यह असंसदीय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक अंग्रेजी पत्रिका "न्यू दिल्ली" ने भदुआ के बारे में क्या लिखा है?

"Every thing is done openly. Illegal coal cutters, toughs, politicians, police, all work for the mafia. Nowa days even political party workers have jumped into the business. the big names in the business are Virendra Pande, Tapeshwar Dev, Surajdev Sing, Satyadev Singh (the brother of Shankar Dayal Singh, the Bihar Supply and Housing Minister) Former Mineowner of the area like Banarji, Agarwal, Pathak, Verma, Taneja etc. have in many case unionised ilegal and mines in the name of a movement. The coal mafia has representatives in the Bihar Cabinet. In Delhi it sabotages policy matter ?

तो इस तरह से भदुआ की दुर्घटना देखने को जो हमलोगों को मिली लेकिन जब तक इस तरह के लोग रहेंगे भदुआ की दुर्घटना होती रहेगी। ये लोग मंत्रियों की

जेब भरते रहते हैं इसलिए इस तरह की दुर्घटना होती है और आगे भी होती रहेगी।

श्री दीनानाथ पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि यहां पर मजदूरों की भलाई के लिए कुछ बातें होगी। इस प्रस्ताव के आने के बाद लोग मजदूरों के बारे में, मजदूरों की भलाई के बारे में बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, टाटा के माया मोह में ये लोग फंसे हुए हैं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांधी के बताये हुए रास्ते पर चलना होगा और मैं घोषणा करता हूं कि अगर पहली मई, १९८० तक ठीका मजदूरों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो इस दिशा में मैं बारी मैदान में दो मई को आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। कठिनाई कहां है, जरा विचार किया जाय। टिस्को कम्पनी भारत सरकार की कम्पनी नहीं है। उसे नेशनलाइज नहीं किया गया है। इसका जो परिभाषा दिया गया है उसके सेक्शन—२ में कहा गया है कि अन्डर टेकिंग में लेने के लिये राज्य सरकार सक्षम है। क्या अस्थाई मजदूर काम नहीं करता है, करता है। टिस्को का पूरा मजदूर जब हड़ताल पर गया था तो वह कम्पनी बैठ जाती। बिहार सरकार के पत्र के अनुसार १२ फरवरी को बैठक बुलायी गयी थी, जिसके फलस्वरूप टेल्को के मजदूरों को स्थाई किया गया था। टिस्को में क्यों नहीं किया गया। जिस समय लेबर कमिश्नर माधो बाबू थे, स्थाई किया गया था और इसके लिये मैं श्री कर्पूरी ठाकुर को धन्यवाद देता हूं, जिसने भ्रष्टाचार को दूर करने की कार्रवाई की थी। श्री मंतेश्वर झा भी सार्प ब्रेन के आफिसर हैं और श्री योगेश्वर प्रसाद 'योगेश' को भी चिन्ता है और ये करता चाहते हैं लेकिन दिल्ली की बिल्ली की झड़प मुख्य मंत्री पर पड़ी और उसका असर बिहार के पदाधिकारियों पर भी पड़ा और सभी लोग डर गये। १२ फरवरी की चिट्ठी थी कि त्रिपक्षीय समझौता हो और समाधान हो। लेकिन अभीतक नहीं हुआ। तो मैं आज सदन में कह देना चाहता हूं कि टिस्को के मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं २ मई १९८१ से जमशेदपुर में आमरण अनशन पर बैठूंगा और टाटा के माया जाल को काट दूंगा।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, जिन महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर अभी वाद-विवाद हुआ है और जिन-जिन माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, सबों

की बात मैं बड़े गौर से सुना हूं। हमने कोशिश की है कि जो राय हमारे सामने आये हैं उनके आधार पर वस्तु स्थिति जानने का भी। माननीय विरोधी दल के नेता ने तीनों विन्दुओं पर अपनी राय रखी है। समस्तीपुर के बारे में भी अपनी राय रखी है। बंदियों पर जो उसका प्रतिकूल प्रभाव हुआ, वह सबों के सामने है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि गोली कांड चाहे जेल में हो या बाहर हो, यह किसी भी सरकार के लिये प्रिय नहीं है। हमें भी अफसोस है कि ऐसी घटना जेल के अन्दर घटी। किस परिस्थिति में गोली चली, इसके बारे में दरभंगा के कमिश्नर की रिपोर्ट आ गयी है, उससे ऐसा लगता है कि वहां के अधिकारियों के सामने गोली चलाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं रह गया था। बंदियों ने अपनी मांग के लिये २ दिन छत पर रहकर बिताया। इस बीच वहां के अधिकारियों ने काफी कोशिश की ताकि वे लोग नीचे आ जायं। एक हवलदार को हटाने की बात थी, उसे हटा दिया गया, कम्बल और भोजन में सुधार की बात थी; कम्बल दिलवा दिया गया, उनके भोजन में भी सुधार करवा दिया, यहां तक कि दाल में कीड़े पाये जाने की शिकायत थी, इसकी जांच की गयी, बात सही निकली, तो उस दाल को बदलकर दूसरा दाल मंगवाया गया और भी सुधार के आश्वासन दिये गये, फिर भी वे लोग बदले नहीं, वे लोग नीचे आये नहीं और १४ तारीख को परिस्थिति बेतरह बिगड़ गयी, उनलोगों ने रसोई घर के दरवाजा को तोड़ दिया और भी कुछ दरवाजा तोड़ दिया, वे हिंसा पर चले आये तो जेल के अधिकारियों ने जिलाधिकारी से पुलिस की मदद की मांग की तब पुलिस वहां गयी। विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि जेल अधिकारी ने, पुलिस ने या जेल के किस स्टॉफ ने उन्हें जेल के अन्दर नहीं जाने दिया, यह सरकार को पता नहीं है, मैं इसका पता लगाऊंगा। मैं विषद रूप में इसके तह में जाना नहीं चाहता, इसलिये कि इसपर जुडिसियल इनक्वायरी सरकार ने कायम कर दी है।

श्री मुंशी लाल राय—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह है कि जब जुडिशियल इनक्वायरी का आदेश हो गया है तो यह गोली काण्ड जायज है या नाजायज है इसके तह में अभी हमलोगों को नहीं जाना चाहिए। इनक्वायरी में सारी बातें आयेंगी। अभी इन्होंने कहा कि आयुक्त की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि अधिकारियों के सामने दूसरा कोई चारा नहीं रह गया था, जिसका मतलब है कि सरकार ने अपना निर्णय पहले बना लिया है।

अध्यक्ष—आप प्वायंट औफ आर्डर रेंज करके, इस पर नियमन की मांग करते हैं। मैंने ऐसे विषय पर कभी रोक नहीं लगायी, मैं इस लिए बोलने के लिए एलाऊ करता हूं कि जुडिसियल इनक्वायरी, कोर्ट में कोई केस पेन्डिग हो, उसपर बोलने से कब रोका जायगा, यह मैं जानता हूं। जबतक जुडिसियल इनक्वायरी फंक्शन नहीं करने लगेगा, न्यायाधीश के समक्ष जबतक लोग शपथ-ग्रहण नहीं कर लेंगे तबतक आपको, इनको बोलने की पूरी स्वतन्त्रता है। जब वह कोर्ट फंक्शन शुरू कर देता है, साक्ष्य लेना जब शुरू हो जाता है, तब हमलोग उस विषय पर बोलने से रोकते हैं। इसपर बहुत से जजमेंट हैं, किताबें हैं, लीटरेचर हैं। आप इन्हें देख लेंगे। आप जैसा कहते हैं, वैसी रोक लगा दी जाय तो भाषण में कमी हो जायगा। जितनी दूर तक हम बोलने की स्वतन्त्रता देते हैं, उतनी दूर तक बोलने की स्वतन्त्रता नहीं दे सकते हैं और इनभेस्टिगेशन के टाइम में ही रोक देंगे। हमने अपना डिसक्रीशन बराबर टू-वर्डस मेम्बर्स रखा है। जबतक कागज या कानून पाबन्द नहीं करता है तबतक हम बोलने की अनुमति देते हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—फिर भी मैं महफूज रखना चाहूंगा कि उसके मेरिट में न जाऊं। जैसा श्री मुंशीलाल राय जी ने ध्यान आकर्षित किया है, हम स्वयं भी कह रहे हैं न्यायाधीश श्री आर० पी० मंडल जी के मातहत यह मामला है। जाँच के लिए कमीशन बन गया है; टर्म्स औफ रेफरेन्स में सारी बातें आ गयी हैं। मैं टर्म्स औफ रेफरेंस पढ़ देना चाहता हूं।

(१) वे तथ्य, कारण और घटनाक्रम जिनकी परिणति समस्तीपुर मंडल कारा में दिनांक १४ जनवरी १९८१ को पुलिस गोली काण्ड में हुई;

(२) पुलिस द्वारा प्रयोग किया गया बल का स्वरूप और परिणाम;

(३) क्या पुलिस द्वारा बल प्रयोग उचित और नियन्त्रित था और यदि नहीं तो इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार है,

(४) क्या घटना के सिलसिले में कैदियों द्वारा भी आग्नेयास्त्र का व्यवहार किया गया था और यदि हाँ तो यह किस तरह ऐसे अग्नेयास्त्र कारा के अन्दर जा सके और क्या जेल के कोई स्थानीय पदाधिकारी इस सम्बन्ध में कर्त्तव्यच्युतता के लिए दोषी हैं,

(५) उपर्युक्त घटन. से सम्बन्धित कोई अन्य, अतएव राज्य सरकार निदेश देती है कि धारा-५ की उप-धारा (२), (३), (४) और (५) के सभी उपबन्ध उक्त आयोग पर लागू होंगे।

श्री राजमंगल मिश्र—माननीय मंत्री ने कहा कि जुडिसियल इनक्वायरी बन गयी है तो अब यह आदेश हो जाना चाहिए कि जब टर्म्स औफ रेफरेन्स चला गया है, तो वे इसके बारे में न बोलें।

अध्यक्ष—आप वकील हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि अपने तर्क से आप ही बंध जायेंगे। आप नियमन खोज रहे हैं, क्या कहें हम आपको ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—मैं विषद रूप से वर्णन नहीं चाहता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, विरोधी दल के नेता जो समस्तीपुर से आते हैं, अन्य माननीय सदस्यों ने भी बहुत बखूबी अपनी बातों को रखने की कोशिश की है लेकिन मुझे एक चीज पर आश्चर्य हुआ, विरोधी दल के नेता ने लाल बहादुर राय के बारे में कहा कि वह एक नवयुवक था, जो मारा गया। मारा गया, इसके लिए मुझे भी अफसोस है, किन्तु यदि यह कह दिया जाय कि सरकार ने मारने के लिए ही जेल में बंद रखा था, तो यह बात मुझे विचित्र-सी लगी। श्री रामदेव वर्मा ने जमानत लिया या नहीं, उस सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि १४ तारीख तक वे जेल से निकले नहीं थे और यह घटना घट गयी। माननीय विरोधी दल के नेता ने सर्वदलीय समिति की मांग की है, अन्य लोगों ने भी इसकी मांग की है लेकिन यदि जुडिसियल इनक्वायरी नहीं बैठ गयी होती तो मुझे इसको मानने में कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जब एक न्यायधीश के हाथ में यह जांच दे दी गयी है तो अब हम कोई दूसरी नहीं करना चाहते हैं। मंडल जी सक्षम हैं, अच्छी ख्याति के जज हैं, हम समझते हैं कि तथ्य तक पहुंच सकेंगे।

श्री मुंशी लाल राय—जिन्होंने गोली चलवायी है, उनको तत्काल वहाँ से हटाया जायगा या नहीं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—श्री मुंशी लाल राय जी ने कहा कि इस घटना के बाद भी सरकार में कोई रिजाईन करने के लिए तैयार नहीं है जबकि रेल दुर्घटना

में श्री लाल बमादुर शास्त्री ने रिजाइन दिया था। इसके अलावे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब उनकी पार्टी की सरकार थी तो बेलछी कांड हुआ, जमशेदपुर कांड हुआ तो आपने कब रिजाइन किया था, यह मैं पूछना चाहता हूं। मैं किसी पर मोटिभ इमप्युट नहीं करता हूं; चाहे किसी की भी सरकार हो, जो भी सरकार कुछ काम करती है, उसमें कुछ इस समय की बात होती ही है। मैं यह नहीं कहता कि विरोधी दल के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर ने कोई गलत काम किया था; हम तथ्य पर पहुंचना चाहते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—बेलछी कांड की घटना दो ग्रूप के बीच झगड़ा हुआ था, उस समय मंत्रीमण्डल नहीं था, उस समय राष्ट्रपति शासन था। वहाँ सरकार ने गोली नहीं चलायी थी, दो विरोधी गुटों के बीच झगड़ा के कारण गोली चली। विश्रामपुर में भी दो ग्रुप के झगड़े के कारण ही गोली चली, वहाँ भी सरकार ने गोली नहीं चलवायी। फिर जमशेदपुर के कांड में भी सरकार ने गोली नहीं चलायी, इसलिये आप तुलना करते हैं बेलछी कांड, विश्रामपुर कांड और जमशेदपुर कांड से, तो मुझे आश्चर्य मालूम होता कि कहीं आपके जैसा काबिल मंत्री ऐसी तुलना करे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—हमने तुलना नहीं की है, स्थिति की गम्भीरता में गया। मैं विषद रूप से इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इस बात की कोशिश कभी नहीं की। जुडिसियल इनक्वायरी कायम कर दी गयी है। दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति मारे गये हैं, प्रत्येक के परिवार को दस-दस हजार रुपये दिये गये हैं सिर्फ लाल बहादुर राय का नाम उसमें छूट गया था तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि उनके परिवार को हम दस हजार रुपये से मदद करेंगे।

श्री रामदेव वर्मा—पचास हजार रुपया कीजिए।

श्री जयकुमार सिंह—आपको पचास हजार रुपया मिलेगा, आप मरने के लिये तैयार हैं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—मैंने कहाकि यह कोई प्रिय घटना नहीं है।

श्री गणेश शंकर विद्यार्थी—एस० पी० केस को टेम्पर कर रहे हैं, इसलिये एस० पी० और कलक्टर को वहां से हटाया जाय।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—दूसरा विषय टाटा का है। वहां ठीका मजदूरों की समस्या है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि ठीका लेबर की समस्या को लेकर वहां स्ट्राइक हुआ।

श्री राजकुमार पूर्वे—लाल बहादुर राय को कितने देने का एनाउन्स किया ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—दस हजार।

श्री राजकुमार पूर्वे—दस हजार रुपया आपको दिया जाय तो आप मरेंगे ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—इतने सीनियर मेम्बर ऐसी बात नहीं कहें। मैंने शुरू में कहा है कि जो मारे गये हैं उनके लिये हमें अफसोस है। यह जो रकम दी गयी है वह उनकी जान की कीमत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, टाटा के कंट्रैक्ट लेबर को लेकर झगड़ा है। यह बात सत्य है कि जमशेदपुर में जितने कंसर्न हैं, टेलको, टिस्को या टीन प्लेट कंपनी सबों में इसके लिये झगड़ा चलता रहा है। उसको प्रोहिबिट करने के लिये १९७० में प्रावधान था कि लेबर कंट्रैक्ट का समायोजन नहीं हुआ। १९७५ से यह लड़ाई चलती रही है और आजतक लंबित है। १९७७-७८ में दो बार कैबिनेट ने यह फैसला किया कि कंट्रैक्ट लेबर, कैजुअल लेबर और टेम्परेरी लेबर, तीनों का एक केडर बना दिया जाय। मगर आरक्षण में जो जगह रखा गया उसके लिये कठिनाई हुई। साथ ही तीनों प्रकार के लेबर को जब एक कैटेगरी में रखने की बात हुई तो जो स्थायी लेबर थे उन्होंने इसका विरोध किया कि हमारी कैटेगरी में उनको नहीं रखा जाय। साथ ही सीनियरिटी लिस्ट बनाने में भी दिक्कत हुई। एक बात ध्यान देने योग्य है कि स्ट्राइक ११ तारीख से चला मगर पुलिस ने १५ तारीख को हस्तक्षेप किया। इस बीच स्ट्राइक वाले लेबर गेट को रोके थे, रेलवे लाइन रोके हुए थे और जो कच्चा माल ब्लास्ट फरनेस में जाने वाला था उसको रोकने लगे। जब ऐसी बात होने लगी तब पुलिस ने इन्टरफियर किया क्योंकि कच्चा माल जाने में कठिनाई होने लगी। मैं पूछना चाहता हूँ विरोधी दल के नेता और दूसरे सदस्यों से कि क्या ऐसा करने से उत्पादन नहीं घटेगा ? सरकार ने हस्तक्षेप तब किया जब कच्चा माल जाने से रोका जाने लगा। यह बात ठीक है कि लेबर कमिश्नर ने १९७९ में लेबर ट्रेड यूनियन का एक कंफरेंस किया था। उसमें तय हुआ कि ऐसे मजदूर को कंट्रैक्ट पर हैं, उनको लिया जाय। लेकिन टाटा के लोग,

टिस्को के लोग तैयार नहीं थे। उन्होंने यह कहा कि यह मैटर नेशनल काउंसिल आफ स्टील के डिसक्रिशन में है इसलिये इस बात पर फैसला नहीं हो सकता है। फिर लेबर कमिश्नर ने १२ फरवरी को एक मीटिंग बुलायी। फिर भी लेबर कमिश्नर ने १२ फरवरी को एक मिटिंग बुलायी थी लेकिन ११ तारीख को ही वे लोग स्ट्राइक पर चले गये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राजकुमार पूर्वे जी के स्पीच से मुझे आज बड़ी निराशा हुई। आज तक इतना पुअर स्पीच इनका नहीं सुना था। एक लेबर का इसू और इतना पुअर स्पीच। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कभी इतना पुअर स्पीच नहीं सुना था। ये सिर्फ अखबार पढ़कर रखे और कहा कि सरकार टाटा के हाथ में है। आपकी सरकार भी थी, आपके मंत्री भी थे तो आपने क्या किया था ? मैं सिर्फ सदन के सामने इसको रखना चाहता हूँ। हमारी सरकार से भी कहीं गलती है, मैं इसको मानता हूँ चूँकि हम सब लोग मनुष्य हैं किन्तु इस सरकार पर पूंजीपति का आधिपत्य और प्रभाव नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने १९६७ से १९६९ तक की सरकार को देखा, १९७७ से १९८० तक की सरकार को भी देखा है। (शोरगुल)

श्री कर्पूरी ठाकुर—एक बात मैं नम्रतापूर्वक जानना चाहता हूँ कि इन तीनों घटनाओं की एक सर्वदलीय समिति द्वारा जांच सरकार करायेगी या नहीं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मैंने बहुत सरकारें देखी है। लेकिन हमने देखा कि कहां पर क्या प्रभाव हुआ इन वर्षों में। हमारी सरकार पर बाहर के पूंजीपतियों का प्रभाव नहीं हुआ, हमारी सरकार पर यहां के पूंजीपतियों का प्रभाव नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैंने नम्रतापूर्वक पूछा है कि सदन के माननीय सदस्यों के एक सर्वदलीय समिति द्वारा इसकी जांच सरकार करायेगी या नहीं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय............

श्री कर्पूरी ठाकुर—आप टाल रहे हैं, इसलिये आपके निर्णय के विरुद्ध हमलोग सदन से वाक आउट कर रहे हैं। (शोरगुल)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र पासवान नारा लगाने लगे—"टाटा की दलाली बन्द करो", "टाटा की दलाली नहीं चलेगी", "लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी", "टाटा बिड़ला की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" तथा और कई माननीय सदस्य इस नारा का साथ दे रहे थे) इस प्रकार का नारा लगाने के बाद विरोधी पक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जो कंट्रैक्ट लेबर की समस्या है उसके समाधान में सरकार अवश्य कदम उठायेगी। इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं। यों कंट्रैक्ट लेबर की समस्या बराबर उठ जाती है और हमारे किसी भाई ने ठीक ही कहा है कि इसमें पोलिटिकल पार्टी का हाथ है, लेबरर का नहीं था। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री दीनानाथ पांडे धमकी देते हैं। धमकी की बात नहीं है। करें, शान्ति का वातावरण बनाने की बात करें। ये धमकी देकर लेबर को भड़काना चाहते हैं। हमारी सरकार इसको कभी बर्दास्त नहीं करेगी। मैं समझता हूं कि ये सरकार को शान्ति का वातावरण बनाने में मदद करेंगे। और अगर शान्ति भंग करने की बात करेंगे तो हम इन पर भी कार्रवाई करेंगे।

(सदन में वाक आउट के साथ नारेबाजी होती रही।)

(सदन में शोरगुल)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, भदुआ खान के बारे में जो कहा गया और जो वहाँ दुर्घटना हुयी—लोग चोरी से खान चलाते थे और कहा गया कि ३०० लोग मारे गये, यह विचित्र बात है। जब सरकार को खबर मिली—तो १३ तारीख को पुलिस अधिकारी गये और तुरत सेन्ट्रल रेसक्यू स्टेशन धनबाद को भी खबर दिया गया, वे भी वहाँ पहुंचे। १४ तारीख को हमारे जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर गये और इन लोगों ने तहकिकात किया, बल्कि १५-२० किलो मीटर तक सादी वर्दी में पुलिस तहकिकात किया, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी वालों ने यह नहीं कहा कि कौन मरा है, किसका बेटा मरा है, यह अब तक पता नहीं है। माननीय सदस्या श्रीमती रमणिका गुप्ता

बोल रही थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से एक भी नाम नहीं आया है। आज तक हमारे अधिकारियों को किसी का नाम लिखकर नहीं दिया गया। अगर उनके पास नाम हैं तो अभी दें; मैं इसकी जांच करवाऊंगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इनक्वायरी के दरमियान कुछ टोकड़ी पड़ा हुआ मिला था जो कि चोरी से काम करने वाले थे। चोरी से काम करने वाले दस आदमियों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गयी और चोरी की कार्रवाई रूके इसलिये ३०० लाइसेन्स-धारियों का लाइसेन्स रद्द कर दिया गया।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री, अब समय हो गया, अब बैठ जाइये।

विधान परिषद् से प्राप्त संदेश।

सचिव—महोदय, बिहार विधान-परिषद से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है कि ३० मार्च, १९८१ ई० की बैठक में विधान-परिषद में बिहार वित्त विधेयक १९८१ पर को विधान-सभा के द्वारा तिथि २७ मार्च, १९८१ को पारित हुआ था, विचार किया, तथा बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य श्री रामेश्वर सिंह, उत्तर हो गया है, आप पूरक पूछें।

श्री रामेश्वर सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण सूचना में मुख्य प्रश्न था कि बेगूसराय में पिछले दिन कितनी हत्यायें हुयी, उनके कितने राजनैतिक हत्या हुयी और कितने गैर राजनीतिक। इस सप्ताह में तेघड़ा और बरौनी ५ हत्यायें हुयी हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ठोस आंकड़ा पेश करें।

अध्यक्ष—आंकड़ा दिये हैं।

श्री रामेश्वर सिंह—जी नहीं, इन्होंने नहीं दिया है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अलग-अलग आंकड़ा नहीं मांगा है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि जनवरी-फरवरी में ११ हत्याय और ८ डकैतियां हुई है।